

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT BY APPLICANTS
IN**

ORIGINAL APPLICATION NO. 641 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUMAN CHAUHAN & 49 OTHERS ...Applicants

VERSUS

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH & OTHERS ...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Supplementary Affidavit of Applicant No. 18 – Megha Abhay Gupta	2-5
2.	Annexure-1: Copies of detailed second demolition orders passed by Noida Authority rejecting representations pursuant to directions of the Hon'ble High Court	6-68
3.	Proof of Service	69-69

li
Air Commodore

Abhay Gupta (VSM)

Sumit
Sumit Mehta

WMI
Manoj Singh

Name and Signatures of party in person/Authorized representatives

Date: 09.02.2026



Megha Gupta

Megha Gupta
Megha Abhay Gupta

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT BY APPLICANTS
IN**

ORIGINAL APPLICATION NO. 641 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUMAN CHAUHAN & 49 OTHERS ...Applicants

VERSUS

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH & OTHERS ...Respondents

To,

The Hon'ble Chairman, National Green Tribunal, and His Companion Judges.

Most Respectfully Showeth:

I, **Megha Abhay Gupta**, D/o Air Commodore Abhay Gupta, Resident of Plot No. 56A, Dostpur Mangroli, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh – 201301, Applicant No. 18 in the present Original Application, presently at Delhi, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Applicant No. 18 in the present Original Application and am fully conversant with the facts and circumstances of the case and hence competent to swear the present Supplementary Affidavit.
2. That this Supplementary Affidavit is being filed to place on record additional facts, submissions, and clarifications which are necessary for the just and proper adjudication of the present matter by this Hon'ble Tribunal.
3. That I have read and understood the contents of this Supplementary Affidavit and the statements made herein are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.
4. That a demolition order dated 08.06.2022 was issued by the Noida Authority alleging that the properties of the applicants herein/their spouses are situated on floodplains. The said demolition order has been placed on record by the District Magistrate, Gautam Budh Nagar, in his response dated 02.09.2025 as Annexure-3 at Page No. 970 onwards.
5. That the said demolition order dated 08.06.2022 was challenged by the Applicants herein along with other residents of the same villages before the Hon'ble High Court at Allahabad, wherein the Hon'ble High Court granted status quo orders and disposed of the matter directing Noida Authority to decide the representations of the affected residents.
6. That pursuant to the said directions, the Noida Authority rejected the representations of the applicants herein and other residents by issuing a second detailed demolition order primarily on the ground that the properties allegedly fall within floodplains under the Environment (Protection) Act,



Li

Sumit

WMI

Megha Abhay Gupta

Megha Abhay Gupta

1986 and the Notification dated 07.10.2016 issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Copies of the said orders are annexed herewith as **Annexure-1**.

7. That the Applicants herein/their spouses and other residents have challenged the said second demolition orders and the Hon'ble High Court has granted status quo orders and the matter is presently pending adjudication.
8. That the said status quo orders have already been placed on record by the applicants herein by way of Supplementary Affidavit dated 26.11.2025 as Annexure-1 to 10 (Page Nos. 977-1003).
9. That the dispute pending before the Hon'ble High Court pertains to the same properties involved in the present matter. It is submitted that the addresses reflected in the cause title/proforma of parties in the High Court proceedings are correspondence addresses of the Applicants or their spouses, provided due to the irregular postal services in the Applicants' villages at the relevant time, whereas the revenue records and registered sale deeds annexed therein correctly reflect the actual addresses of the properties.
10. That the dispute concerning the properties in the Applicants villages dates back to the year 1997 when Noida Authority abruptly initiated demolitions alleging the properties to be situated on floodplains.
11. That the said demolition actions were challenged before the District Court in Case No. 1387 of 1997, wherein the District Court, vide order dated 30.08.1999, prohibited demolition after appreciation of evidence.
12. That the said order was challenged by Noida Authority in First Appeal No. 1082 of 1999, which was dismissed by the Hon'ble Allahabad High Court vide judgment dated 15.09.2015.
13. That copies of the aforesaid District Court and High Court orders are already on record as Annexure-6 (Page Nos. 354-368) and Annexure-7 (Page Nos. 369-374) respectively.
14. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 13.07.2017 in *M.C. Mehta vs. Union of India*, O.A. No. 200/2014, held that floodplains require protection through scientific zoning into No Development Zone, Regulated Zone, and Free Zone, in furtherance of the principle of Sustainable Development. Relevant excerpts of the said order are:

142. Being an integral part of the river, floodplain of the river requires protection. Floodplains play significant role in maintaining the bio-diversity and aquatic life of the river. It's significance cannot be overlooked, in terms of environment and ecology. There are numerous dimensions involved while identifying the floodplains. It is required to categorize it into different zones, namely, No Development Zone, Regulated Zone and a Free Zone for development. The principle of Sustainable Development itself justifies the classification of floodplains into such zones for protecting the river. This Tribunal in the case of Manoj Misra (supra) had the occasion



L1

Sumit

WMI-

Megha Gupta
Megha Gupta

Megha Gupta

to deal with the concept of floodplain, its zoning and management. The Tribunal held as under:

"79. Development and regulation of floodplain of Rivers falls within the purview of the State. Floodplain is an integral part of River system even though it is used only occasionally to pass down flood flows. When floodplain is not occupied by water it forms part of the land system providing possibilities of carrying on some restricted activity. It is not possible to provide uniformity in the extent of floodplains with respect to different Rivers as well as its various reaches.

80. Floodplain zoning has been accepted as an important nonstructural strategy for flood management. The basic concept of floodplain zoning is to regulate land use of floodplains to restrict damage caused due to floods. The floodplain zoning, therefore, aims at determination of locations so that flood damages are reduced to minimum. A very restrictive activity can be allowed in that area. It is not only to protect the areas from damage resulting from floods and failure of water protective measures, but is also useful in reducing the damage caused due to drainage congestion, particularly in urban areas. The Commission claims to have prepared a model bill relating to floodplain zoning. This model bill provides for different categories based of priorities in floodplain. Following are the recommended priorities:

1. "Defense installations, industries, public utilities like hospitals, electricity, installations, water supply, telephone exchanges, aerodromes, railway stations, commercial centres, etc buildings should be located in such a fashion that they are above the levels corresponding to a 100 years frequency or the maximum observed flood levels. Similarly, they should also be above the levels corresponding to a 50 years rainfall and the likely submersion due to drainage congestion.

2. Public institutions, government offices, universities, public libraries and residential areas. Buildings should be above a level corresponding to a 25 year flood or a 10 year rainfall with stipulation that all buildings in vulnerable zones should be constructed on columns or stills as indicated above.

3. Parks and playgrounds. Infrastructure such as playgrounds and parks can be located in areas vulnerable to frequent floods. Since every city needs some open areas and gardens, by restricting building activity in vulnerable areas, it will be possible to develop parks and play grounds, which would provide a proper environment for the growth of the city."

15. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 15.12.2017 in *M.C. Mehta vs. Union of India*, O.A. No. 200/2014 passed the directions that:

5.

Thus, in view of the above we pass the following directions.

.....

.....Once the river enters the plain or even hilly areas where width of the river is more than 70 mtrs; in that event area of 100 mtrs from the edge of the river shall be treated as Prohibitory Zone while 100 mtrs to 300 mtrs would be treated as Regulatory Zone and till the time the State notifies the restricted activities, there shall be no construction activity even in the Regulatory Zone".

16. That the properties in question are well beyond the distances mentioned in the aforesaid order, are well before this order & the Ganga Rejuvenation notification of 2016.



Li

Sumit

WMI

Megha
Megha Aggarwal Gupta

Megha
Gupta

17. That the Respondents have incorrectly described the properties of the Applicants as farmhouses, whereas the properties are used solely for bona fide residential purposes.
18. That the Applicants herein along with household staff and agricultural labourers reside in the said properties, which constitute long-standing residential use.
19. That the order of the ADM, Gautam Budh Nagar, recording that the Applicants' properties were approved by the Zila Panchayat and the Irrigation Department is already on record at Page 352, and the Noida Authority's order passed in compliance with the Hon'ble High Court's directions, reiterating the same approval, is already on record at Page 716.
20. That it is respectfully submitted that **a single flood incident in July 2023, by itself, cannot be treated as conclusive evidence** to determine that the properties in question lie within the continuous flow or active flood zone of the river. It is submitted that **long-standing residential habitation would not be possible in areas subjected to continuous river flow**, and any temporary inundation during an uncontrolled & man made flood event cannot, by itself, justify such a classification.

PRAYER

It is therefore most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to take the present Supplementary Affidavit on record and consider the same in the interest of justice.

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 20 of the above Supplementary Affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at **New Delhi**

On this ___ day of 09 FEB 2026.

Megha Gupta

Megha Abhay Gupta

DEPONENT



Li:

Sumit

ATTESTED

 NOTARY DELHI, R-16988
 GOVT. OF INDIA

09 FEB 2026

WMI

Megha Gupta
 Megha Abhay Gupta

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर - 201301

पत्रांक - नौएडा/भूलेख/22/...1892
दिनांक ...27/7/22

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-17179/2022 राजेश अग्रवाल व अन्य बनाम नौएडा व अन्य में दिनांक 14.06.2022 को आदेश पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:-

..... Learned counsel for the petitioners as well as Sri Manish Goyal, learned Additional Advocate General appearing for the respondents and Sri Anuj Srivastava for the NOIDA authority states that the instant matter is covered by the order passed today in Writ C No. 17175 of 2022 (Harit Kisan Kalyan Samiti Vs. New Okhla Industrial Development Authority and others). The said writ petition was disposed of with the following directions:-

"We are of the opinion that the aforesaid course, if adopted, will subserve the ends of justice. We, accordingly, permit the petitioner-society and its members to file objection within ten days in pursuance of the impugned public notice, as also agreed to by learned counsel for the petitioner, and in which event, the same shall be decided by respondent no.2 by means of a speaking order. For a period of twenty days from today, the status quo as of date shall be maintained by all the parties.

In case, the petitioner and its members fail to file objection within ten days from today, it shall be open to the respondent authority to proceed further in pursuance of the impugned public notice."

Accordingly, the instant petition also stands disposed of in same terms.

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में मेसर्स दिक्षा लॉ फर्म टी1/1501, सुप्रीम टॉवर, सेक्टर 99, नौएडा की ओर से प्रत्यावेदन दिनांक 21.06.2022 को प्राप्त हुआ, जिसके साथ रिट याचिका के 13 याचियों का ऑथोरिटी लेटर पृष्ठ 213 से 248 पर संलग्न है। किसी भी याची का भूमि के स्वत्व (Title) के संबंध में कोई भी वैधानिक प्रलेख (बैनामा आदि) संलग्न नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनका इस वाद में Locus standi क्या है व प्रश्नगत भूमि जिसके संबंध में रिट याचिका योजित की गयी है वह किस ग्राम की है? उनके द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का प्राधिकरण के भूलेख एवं नियोजन विभाग के संबंधित अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नवत् स्थिति उभर कर सामने आती है:-

1. प्रत्यावेदक द्वारा मुख्य रूप से की गयी आपत्ति "Village Nagla Nagli khadar is not a Notified area. Village Nagla Nagli is not included in the master plan and thus outside the jurisdiction of noida Authority" के संबंध में उल्लेखनीय है कि जनपद- गौतमबुद्धनगर में ग्राम "नगली नगला खादर" के नाम से कोई राजस्व ग्राम नहीं है। राजस्व ग्राम नगली नगला शासकीय अधिसूचना संख्या 2042 भाउ/18-11-123 (एन)/85, लखनऊ, दिनांक 11.07.1989 के अंतर्गत नौएडा का अधिसूचित ग्राम है। नौएडा महायोजना -2031 में ग्राम नगली नगला का यमुना नदी से बाँध के बीच का क्षेत्र रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट जोन के अंतर्गत है। इस प्रकार

Page 1 of 8



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

7
प्रत्यावेदक का कथन निराधार है कि ग्राम नगली नगला खादर नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र नहीं है व नौएडा के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

2. याची द्वारा अपनी आपत्ति में कथित किया गया है कि सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है व उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में उल्लिखित है कि प्राधिकरण द्वारा डूब क्षेत्र में एवं बांध रोड पर जगह-जगह दर्शनीय सुस्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमत्त नहीं है। समय-समय पर मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से सामान्य जनमानस को इस संबंध में सूचित भी किया जाता है। जहाँ तक नोटिस की व्यक्तिगत तामिला का प्रश्न है तो इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से प्रयास किया गया परन्तु स्थलीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया कि डूब क्षेत्र में बने बड़े-बड़े फार्म हाउसों में कोई स्थायी रिहायश नहीं है। प्रायः इन फार्म हाउसों में 1-2 केयर टेकर रहते हैं, जो फार्म हाउस मालिकों के नाम/ मो. नं इत्यादि उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे फार्म हाउस के वास्तविक मालिक का नाम व पता ज्ञात हो सके। इसी क्रम में सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 को फार्म हाउसों के मुख्य द्वार पर स्थलीय स्टाफ द्वारा चस्पा किया गया था। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 89/2013 आकाश वशिष्ठ बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 20.05.2013 के क्रम में कार्यवाही हेतु फार्म हाउस निवासियों के सही नाम व पते ज्ञात न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिनांक 21.06.2013 व 25.06.2013 समाचार पत्रों में निकाले गये थे। इससे क्षुब्ध होकर कतिपय व्यक्तियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकाएं योजित की गयी थी। रिट याचिका संख्या 44104/2013 व अन्य सम्बद्ध रिटों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नोटिस को सही मानते हुए दिनांक 29.08.2013 को निम्न आदेश पारित किया गया था, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

“Considering the facts and circumstances of this case, we dispose of this writ petition with a direction that the order dated 21.6.2013 passed by the respondent-NOIDA shall be treated as a notice to the petitioner to which the petitioner may submit their response within three weeks from today. On receipt of such replies, if any, the respondent-NOIDA shall pass reasoned and speaking orders as expeditiously as possible after considering the replies and, if necessary, giving opportunity of hearing to the petitioner.

With the aforesaid directions/observations this writ petition stands disposed of.”

पुनः वर्तमान रिट याचिकाओं में भी सार्वजनिक नोटिस को निरस्त नहीं किया गया है व वर्तमान याचिका में भी मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश में सार्वजनिक नोटिस को निरस्त नहीं किया गया है व प्रत्यावेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिस क्रम में इनका प्रत्यावेदन अब प्रस्तुत हुआ है। अतः प्रत्यावेदक द्वारा की गयी आपत्ति निराधार व बलहीन है।

3. याची द्वारा अपनी आपत्ति में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र व फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा के संबंध में आपत्ति की गयी है, जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने परिपत्र संख्या 38/का0प्र0अ0भू-09अ.नि.म.-3 दिनांक 15.01.2015 द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है जो निम्नवत है:-

Page 2 of 8



Li

Sumit

WMI

Megha Aggarwal

Megha Aggarwal

परिपत्र

उ०प्र० की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन जोन/ फ्लड प्लेन क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में चर्चा होती रहती है। इस क्रम में उ०प्र० की नदियों के लिए एतद्द्वारा फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

1. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित हैं ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
2. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं हैं ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ़ आर्बत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आर्बत का ड्यू क्षेत्र।

अधिशाली अभियंता हेंड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली -25 द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि नदियों के किनारे बनाए जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाईन किये गये हैं। तटबंध का डिजाईन करते समय नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्लावित हो जाती थी और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-घन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। ड्यू क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब भी बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहान में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकराएगा जो तटबंध को भी छतिग्रस्त कर सकता है, जिससे नौएडा के औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में भारी जन-घन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। बाढ़ की दृष्टि से जनपद- गौतमबुद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है। मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा आकाश वशिष्ट बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 20.05.2013 के आदेशानुसार फ्लड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित है तथा इस जोन को हरित जोन बनाये जाने का प्राविधान है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नौएडा विकास क्षेत्र की महायोजना 2031 का अनुमोदन प्राधिकरण -बोर्ड द्वारा दिनांक 25.08.2011 को किया गया है व शासन द्वारा दिनांक 29.09.2011 को अनापत्ति प्रदान की गयी। महायोजना के अनुसार नौएडा यमुना नदी व हिण्डन नदी के मध्य स्थित है नौएडा का क्षेत्रफल लगभग 20000 हे० है जिसमें शहरीकरण हेतु लगभग 15000 हे० भूमि चिन्हांकित है व शेष लगभग 5000 हे० भूमि इन दोनों नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस भूमि को मास्टर प्लान में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट जोन के अंतर्गत दर्शाया गया है। नौएडा विकास क्षेत्र महायोजना 2031 की महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 5.11 में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के संबंध में निम्न प्राविधान दिया गया है:-

"...Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river banks and over exploitation of water



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta Gupta

Megha Gupta

in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drain. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional. "

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विस्तृत प्लान प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जायेगा जिसमें मनोरंजन तथा पर्यटक गतिविधियों का प्रावधान किया जायेगा। मनोरंजन एवं पर्यटक गतिविधियों में अधिकतम 1% क्षेत्रफल पर अस्थायी एवं Removable structure के निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

महायोजना -2031 के अध्याय 7 के बिन्दु संख्या 7.1.1 में Use zone का उल्लेख है, जिसमें मुख्यतः 8 Use zone है, जो निम्नवत है:- आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, मनोरंजन, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, परिवहन, कृषि/Water body, रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया।

प्रश्नगत स्थल नौएडा महायोजना-2031 के रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 3.3.1 में विभिन्न भू-उपयोगो (Land use) में अनुमन्य गतिविधियों का उल्लेख है जिसे मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस मैट्रिक्स में विभिन्न भू-उपयोगो में अनुमन्य गतिविधियों सशर्त अनुमन्य गतिविधियों, प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य गतिविधियों तथा निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख है। इस मैट्रिक्स में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया में किसी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं है।

फार्म हाउस के गतिविधि का उल्लेख इस मैट्रिक्स के बिन्दु संख्या 9.2 में है। फार्म हाउस की Row का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह गतिविधि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भू-उपयोग में अनुमन्य है एवं अन्य सभी भू-उपयोग में निषिद्ध है। यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भूमि पर प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जित कर उसपर ले-आऊट तैयार किये जाते हैं एवं नियमानुसार इन ले-आऊट में प्रस्तावित भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। यदि ले-आऊट प्लान में भूखण्ड फार्म हाउस के लिए प्रस्तावित है व प्राधिकरण के माध्यम से आवंटित है तो ही प्राधिकरण द्वारा भवन विनियमावली 2010 में दिए गये प्रावधानों के अनुरूप मानचित्र स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना नौएडा की अनुमति/नक्शा पास किये कोई भी निर्माण अन्यत्र स्थल पर किया जाना अवैध है।



L:

Sumit

WMI-

Megha

Megha

प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि को अर्जित किया गया है एवं कृषि भूमि पर फार्म हाउस नियोजित किये गये हैं तथा फार्म हाउसों को नियमानुसार आवंटित किये गये हैं एवं फार्म हाउसों के आवंटित भूखण्डों पर भवन विनियमावली 2010 के अनुरूप मानचित्र भी स्वीकृत किये गये हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि महायोजना-2031 में इस क्षेत्र में कोई भी फार्म हाउस की गतिविधि अनुमत्त नहीं है।

4. प्रत्यावेदक द्वारा ग्राम नंगली नगला के डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण किया गया है जो विधि विरुद्ध है।

5. डूब क्षेत्र के संबंध में उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश जारी कर डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण वैध नहीं माना है व इस संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं कुछ प्रमुख शासनादेश निम्नवत् हैं:-

विशेष सचिव उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 5923(1) एफ-9-21सि.-6/बाद/71 दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 141बी (1) 09-27-सि०-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या 1560/12-27-सि०-3-43एल/08टी०सी० दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। उक्त पत्रों के सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत है:-

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 5923 (1) एफ 91-27सि-6/397/बाद/71 दिनांक 03.02.1992:-

.....जिलाधिकारी को सूचित कर दिया जाए कि फ्लड प्लेन जोन में निर्मित भवनों/आबादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराया जाएगा और वे ऐसे क्षेत्र में निर्माण कार्य पर अंकुश के लिए यू०पी० फ्लड इमरजेंसी पॉवर (क्वीजिशन एवं रिक्वीजिशन) एक्ट 1951 का प्रयोग करें.....

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1417बी (1) 09-27-सि-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010:-

" i..... महायोजना के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्त नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाए। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन में फ्लड प्लेन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii. आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जाएगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाए।



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

iii. ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं है, उसमें ओचित्य पाये जाने पर नार्चन इण्डिया रीगल एवं ड्रेनेज एक्ट- 1873 की धारा- 55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0 दिनांक 19.09.2012:-

".....जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124.437 हे० में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी है। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

"..... यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को हटाने करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए हैं, की है।....."

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा भी याचिका संख्या 2112/2002 बजीरपुर वर्तन निर्माता संघ बनाम दिल्ली सरकार व अन्य में Yamuna-Removal of encroachment committee को उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2005 के माध्यम से निम्नवत निर्देश दिये गये थे:-

".....No encroachment either in the form Jhuggi Jhopri clusters or in any other manner by any person or organization shall be permitted.....We are making it clear that no structure whether it pertains to religious, residential or commercial or any other purpose shall be allowed to exist....."

6. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 89/2013 आकाश वशिष्ठ बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 में MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION DATED 07-10-2016 का उल्लेख किया है। इस नोटिफिकेशन के प्रमुख अंश निम्नवत है, जिनके द्वारा गंगा व उसकी उपनदियों (यमुना सहित) में डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण विधि विरुद्ध बताया गया है व पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया है:-



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

3 (i) "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years

4 (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free zone of reduce pollution sources and to maintain its natural ground water recharge functions

5. Ecological flow of water in River Ganga to be maintained

6(3) No persons shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain are of River Ganga or Its tributaries

1. Decisions of State Ganga Committee to be binding.- The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision any they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee.

7. कतिपय व्यक्तियों/फार्म हाउस डेवलपर द्वारा पूर्व में गलत ढंग से जिला पंचायत से नक्शा पास करा लिया गया था, परन्तु जिला पंचायत द्वारा नक्शों को निरस्त कर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पूर्व में एचओपीओएसओ ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० नौएडा को 6,68,512 वर्ग गज का नक्शा जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर द्वारा 16 जून 2022 को निरस्त कर दिया गया है।

8. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 30.09.2020 कार्यवृत्त के प्रस्तर 30 के बिन्दु संख्या A में उद्धृत किया गया है कि "ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मावन/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की क्षति को बचाने के लिए अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/कॉलोनाईजेशन/प्लानिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।" जिला गंगा समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 25.10.2021, 25.04.2022 एवं 19.05.2022 में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी कार्यवृत्त में भी यमुना एवं हिण्डन नदियों के (फ्लड प्लेन जोन) डूब क्षेत्र में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मेसर्स दिक्षा लॉ फर्म टी1/1501, सुप्रीम टॉवर, सेक्टर 99, नौएडा द्वारा नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र की भूमि जो यमुना नदी से बांध के बीच में डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है पर अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण व किया गया है, जिसको हटाया जाना पर्यावरण, नियोजन एवं जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में फार्म हाउसों के निर्माण के कारण रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विकास कु-प्रभावित होगा एवं बाढ़ आने की स्थिति में भारी मात्रा में जन-धन की हानि होगी। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण के कारण भविष्य में यमुना नदी में बाढ़ आने पर तटबंध पर दबाव बढ़ेगा व तटबंध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बाढ़ का पानी नौएडा के आवासीय/औद्योगिक सेक्टरों में भर जायेगा जिससे व्यापक हानि की सम्भावना उत्पन्न होगी। अतः मेसर्स दिक्षा लॉ फर्म टी1/1501, सुप्रीम टॉवर, सेक्टर 99, नौएडा की ओर से प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है व सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 अंतिम किया जाता है। मेसर्स दिक्षा लॉ फर्म टी1/1501, सुप्रीम टॉवर, सेक्टर 99,



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

नौएडा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा ले अन्यथा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये के भौति संबंधित से ही की जायेगी।

[Signature]

(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को याचिका संख्या-17179 /2022 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 के अनुपालन में सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली-25 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को सूचनार्थ।
5. मेसर्स दिक्षा लॉ फर्म टी1/1501, सुप्रीम टॉवर, सेक्टर 99, नौएडा को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा



ATTESTED

Page 8 of 8

NOTARY, DELHI, R-16988
GOVT. OF INDIA

TRUE COPY, ATTESTED

NOTARY, DELHI, R-16988
GOVT. OF INDIA

09 FEB 2026

Li:

Sumit

WMI-

Megha Gupta
Megha Gupta

Megha Gupta

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर - 201301

पत्रांक - नोएडा/मूलेख/23/.....2623

दिनांक 14/02/23

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-18009/2022, अंकित गुप्ता व 29 अन्य बनाम नोएडा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2022 को पारित आदेश निम्नवत् है-

"The petitioners have called in question a public notice dated 08.06.2022.

"We are of the opinion that the aforesaid course, if adopted, will sub-serve the ends of justice. We, accordingly, permit the petitioner-society and its members to file objection within ten days in pursuance of the impugned public notice, as also agreed to by learned counsel for the petitioner, and in which event, the same shall be decided by respondent no.2 by means of a speaking order. For a period of twenty days from today, the status quo as of date shall be maintained by all the parties. In case, the petitioner and its members fail to file objection within ten days from today, it shall be open to the respondent-authority to proceed further in pursuance of the impugned public notice."

Accordingly, the instant petition also stands disposed off in same terms."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में याचीगणों की ओर से संजय कुमार एण्ड एसीशियेट्स, टी0-01/1502, सुप्रीम टॉवरस, सैक्टर-99, नोएडा द्वारा दिनांक 21.07.2022 को अपना प्रत्यवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यवेदन में मुख्यतः कथित किया गया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से फार्म हाउसों के विरुद्ध सोशल/प्रिन्ट मीडिया व चत्पानगी के माध्यम से जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 विधि विरुद्ध है एवं प्रश्नगत फार्म हाउस पर डूब क्षेत्र (Active Flood Zone) सम्बन्धी नियम लागू न होने एवं प्राधिकरण की अधिकारिता के सम्बन्ध में बिन्दुओं को उठाया गया है।

याचिका संख्या-18009/2022 में पारित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.07.2022, याचिका एवं नोएडा नोएडा प्राधिकरण के सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नवत् स्थिति उभर कर सामने आती है-

1. याचिका में वर्णित ग्राम-चक मंगरोला, दोस्तपुर मंगरोली आदि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र का ग्राम है। ग्राम-चक मंगरोला उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1730-भाऊ/18-10-97 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 1997 में नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम है।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्रावधानों के तहत नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना नोएडा प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण अनुमत्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि U.P. Industrial Area Development Act, 1976 में विहित धारा-2 (डी) में यह स्पष्ट किया गया है कि-

(d) 'Industrial Development Area' means an area declared as such by the State Government by notification;

Page 1 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-10 में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

"If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper the planning of, or the amenities in any part of the industrial development area of the interests of the general public there, it may transferee or occupier of that site or building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain in it in such manners as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier."

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-17 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

".....Overriding effect of the Act 17.

Upon any area being declared an industrial development area under the provision of this act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban planning and Development Act, 1973, or any development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan....."

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदन के साथ कोई ऐसा अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण से प्रस्तावित निर्माण हेतु कोई अनुमति प्राप्त किया जाना दर्शाया गया हो।

नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर अर्द्ध निर्माण के संबंध में New Okhla Industrial Development Area Building Regulation, 2010 के Clause No. 20.2 and 20.3 में निम्नवत उद्धृत किया गया है-

20.2 *"Unsafe Building" An unsafe building shall be considered to constitute danger to public safety hygiene and sanitation and shall be restored by repair or demolished or dealt with as otherwise directed by the Chief Executive Officer of the Authority.*

20.3 *"Unauthorised development" In case of Unauthorised development, the Chief Executive Officer or an authorized officer by the Chief Executive Officer shall-*

- Take suitable action which may include demolition of unauthorised works, sealing of premises, prosecution and criminal proceedings against the offenders in pursuance of relevant Acts in force.*
- Take suitable action against the technical person concerned."*

- प्रत्यावेदन में कथित किया गया है कि सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है व उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में उल्लिखित है कि प्राधिकरण द्वारा ड्यू क्षेत्र में एवं बांध रोड पर जगह-जगह दर्शनीय सुस्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि ड्यू क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं है। समय-समय पर सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से जनमानस को इस संबंध में सूचित की गया जाता है। जहां तक नोटिस की व्यक्तिगत सामिला का प्रश्न है तो इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से प्रयास किया गया परन्तु स्थानीय स्टाफ द्वारा अवगत करवाया कि ड्यू क्षेत्र में बने बड़े-बड़े फार्म हाउसों में कोई स्थायी रिहायश नहीं है। प्रायः इन फार्म हाउसों में 1-2 कमरे देकर रहते हैं, जो फार्म हाउस मालिकों के नाम/ मो/ नं इत्यादि उपलब्ध नहीं करवाते हैं, जिससे फार्म हाउस के वास्तविक मालिक का नाम व पता ज्ञात हो

Page 2 of 9



Li:

Sumit

WMI-

Megha Gupta
Megha Gupta

Megha Gupta

सक। इसी क्रम में सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 को फार्म हाउसों के मुख्य द्वार पर स्थलीय स्टाफ द्वारा चरपा किया गया था। उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओए0 संख्या-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 20.05.2013 के क्रम में कार्यवाही हेतु फार्म हाउस निवासियों के सही नाम व पते ज्ञात न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिनांक 21.06.2013 व 25.06.2013 समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की गई थी, जिससे कुछ होकर कतिपय व्यक्तियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकाएं योजित की गयी थी। रिट याचिका संख्या-44104/2013 व अन्य सम्बन्धितों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नोटिस को सही मानते हुए दिनांक 29.08.2013 को निम्न आदेश पारित किया गया था, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"...Considering the facts and circumstances of this case, we dispose of this writ petition with a direction that the order dated 21.6.2013 passed by the respondent-NOIDA shall be treated as a notice to the petitioner to which the petitioner may submit their response within three weeks from today. On receipt of such replies, if any, the respondent-NOIDA shall pass reasoned and speaking orders as expeditiously as possible after considering the replies and, if necessary, giving opportunity of hearing to the petitioner.

With the aforesaid directions/observations this writ petition stands disposed of."

युनः वर्तमान में भी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 में भी सार्वजनिक नोटिस को निरस्त नहीं किया गया है व प्रत्यावेदकगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

4. प्रत्यावेदक द्वारा अपनी आपत्ति में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र व फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा के संबंध में आपत्ति की गयी है, जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने परिपत्र संख्या 38/का0प्र0अ0मू-09अ.नि.म.-3 दिनांक 15.01.2015 द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है जो निम्नवत है:-

परिपत्र

उ0प्र0 की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन जोन/ फ्लड प्लेन क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में चर्चा होती रहती है। इस क्रम में उ0प्र0 की नदियों के लिए एतद्वारा फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

1. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
 2. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 वाद आर्बत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 वाद आर्बत का ड्यू क्षेत्र।
5. अधिशारी अभियंता हेंड वरर्स खण्ड आगरा नहर आखला, नई दिल्ली-25 द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि - ".....यमुना एवं हिण्डन नदी के ड्यू क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन/फार्म हाउसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारे बनाए जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्रवाहित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-घन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। ड्यू-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में बांध में बांध के समय जल स्तर बढ़ेगा

Page 3 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा को औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में भारी जन-घन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में ग्राम-नौरंगबाद खादर, रायपुर खादर, असगपुर, दककसंतपुर, शाहपुर, गोवर्धनपुर खादर, नगला नगली, नगली बहलपुर, नगली सागपुर, बाखिदपुर, छपरोली खादर, छपरोली बांगर, असनुल्लापुर, चकमंगरोला, दोलतपुर मंगरोली खादर, किवावली आदि की भूमि में यमुना नदी तटबंध के निकट से बह रही है बाढ़ की दृष्टि से जनपद-गीतमबुद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है।

..... अब तक हुए अवैध निर्माणों का जूब-क्षेत्र से हटाया जाना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी भी बाढ़ की विनिधिका का सामना करना पड़ सकता है। यह भी अवगतनीय है कि माओ नेशनल ग्रोन ट्रब्यूनल की प्रिंसिपल बैठ गई, दिल्ली के आदेश सं-069/2013, आकाश दृष्टिगत बनाने यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दिनांक 20.05.2013 को आदेशानुसार प्लड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा इस जोन को हरित जोन बनाये जाने का प्रावधान है।...."

6. अधिशासी अभियन्ता, रिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.08.2022 में अवगत कराया गया है कि- "..... यमुना एवं हिण्डन नदी के जूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन फार्म हाऊसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों को सिंगार बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करके समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्रभावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-घन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। जूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब भी बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा को औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में भारी जन-घन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के नियंत्रणाधीन दो स्थानों ग्राम साकूतपुर एवं कामबकशपुर की भूमि में यमुना नदी तटबंध के अत्यधिक निकट से बह रही है। ग्राम-साकूतपुर के निकट वर्ष-1996 में यमुना नदी के किनारे पर निर्मित तटबंध बाढ़ के समय लगभग एक कि.मी. लम्बाई में फट गया था। जिसमें सेना की मदद लेनी पड़ी थी। बाढ़ की दृष्टि से जनपद-गीतमबुद्धनगर संवेदनशील की श्रेणी में है।

..... अब तक हुए अवैध निर्माणों का जूब-क्षेत्र से हटना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी बाढ़ की विनिधिका का सामना करना पड़ सकता है।....."

7. इस संबंध में एल्लेखनीय है कि नोएडा विकास क्षेत्र की महायोजना-2031 का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.08.2011 को किया गया है व शासन द्वारा दिनांक 29.09.2011 को अनुमति प्रदान की गयी। महायोजना के अनुसार नोएडा यमुना नदी व हिण्डन नदी के मध्य स्थित है नोएडा का क्षेत्रफल लगभग 20000 हे० है, जिसमें शहरीकरण हेतु लगभग 15000 हे० भूमि चिह्नित है व शेष लगभग 5000 हे० भूमि इन दोनों नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस भूमि को मास्टर प्लान में रिजर्व फ्रन्ट डेवलपमेंट जोन के अंतर्गत दर्शाया गया है। नोएडा विकास क्षेत्र महायोजना-2031 की



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-5.11 में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के संरक्ष में निम्न प्राविधान दिया गया है-

"...Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river banks and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drain. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विस्तृत प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें मनोरंजन तथा पर्यटक गतिविधियों का प्रावधान किया जायेगा। मनोरंजन एवं पर्यटक गतिविधियों में अधिकतम 1% क्षेत्रफल पर अस्थायी एवं Removable structure के निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

महायोजना-2031 के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या-7.1.1 में Use zone का उल्लेख है, जिसमें मुख्यतः 8 Use zone हैं, जो निम्नवत हैं-आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, मनोरंजन, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, परिवहन, कृषि/Water body, रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया।

प्रश्नगत फार्म हाउस नौएडा महायोजना-2031 के रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-3.3.1 में विभिन्न भू-उपयोगों (Land use) में अनुमत्य गतिविधियों का उल्लेख है जिसे मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस मैट्रिक्स में विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमत्य गतिविधियों सरत अनुमत्य गतिविधियों, प्राधिकरण योर्ड से अनुमत्य गतिविधियों तथा निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख है। इस मैट्रिक्स में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया में किसी प्रकार की गतिविधि अनुमत्य नहीं है।

फार्म हाउस के गतिविधि का उल्लेख इस मैट्रिक्स के बिन्दु संख्या-9.2 में है। फार्म हाउस की Row का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह गतिविधि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भू-उपयोग में अनुमत्य है एवं अन्य सभी भू-उपयोग में निषिद्ध है। यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भूमि पर प्राधिकरण द्वारा अर्जित कर उस पर ले-आउट तैयार किये जाते हैं एवं नियमानुसार इन ले-आउट में प्रस्तावित भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। यदि ले-आउट प्लान में भूखण्ड फार्म हाउस के लिए प्रस्तावित है तो ही प्राधिकरण द्वारा भवन विनियमावली, 2010 में दिए गये प्रावधानों के अनुरूप मानचित्र



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना नीएडा की अनुमति/मक्का पास किये कोई भी निर्माण किया जाना अवैध है।

प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि को अर्जित किया गया है एवं कृषि भूमि पर फार्म हाउस नियोजित किये गये हैं तथा फार्म हाउसों को नियमानुसार आवंटित किये गये हैं एवं फार्म हाउसों के आवंटित मुखपर्श पर नवन विनियमावली, 2010 के अनुरूप मानचित्र भी स्वीकृत किये गये हैं।

8. याचिका में वर्णित फार्म हाउस में याचिका द्वारा नीएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम- दोस्तपुर मंगशाली व असदुल्लापुर आदि के डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।
9. डूब क्षेत्र के संबंध में उओप्रओ शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश जारी कर डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण वैध नहीं माना है व इस संबंध में विशा-निर्देश दिये गये हैं कुछ प्रमुख शासनादेश निम्न हैं-

विशेष सचिव उओप्रओ शासन द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-9-21सि-6/बाड/71, दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आवुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 1417डी (1) 09-27-सि-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिचाई विभाग उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या 1560/12-27-सि-3-43एल/08टीओसीओ दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। उक्त पत्रों के सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत हैं-

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 5923 (1) एफ 9-27सि-6/397/बाड/71 दिनांक 03.02.1992-

"..... जिलाधिकारी को सूचित कर दिया जाए कि फ्लड प्लेन जोन में निर्मित भवनों/आबादी के दबाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराया जाएगा और वे ऐसे क्षेत्र में निर्माण कार्य पर अंकुश के लिए यूओपीओ फ्लड इमरजेंसी पावर (क्वीज़िशन एवं रिवीजिशन) एक्ट 1951 का प्रयोग करें....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1417डी (1) 09-27-सि-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010-

"..... 1. महायोजना के अन्तर्गत भवनों के कितारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्त नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाए। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii. आरओबीओएफ्ट, यूओपीओ अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही भू मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों की प्राविधियों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही को आप।



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

iii. ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1973 की धारा 55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिधार्ई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।"

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0 दिनांक 19.09.2012:-

"..... जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जम्पट गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124,437 हे० में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला प्रशासक द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिधार्ई विभाग की अनुमति भी जारी की गयी है। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनुमति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट कर तथा प्रकरण में अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की दृष्टी पूर्व विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दश में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2013 को सम्मन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

"..... यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह स्थित हुए हैं, की है।....."

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ना० उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा भी याचिका संख्या -2112/2002, वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ बनाम दिल्ली सरकार व अन्य में Yamuna-Removal of encroachment committee को उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2005 के माध्यम से निम्नवत् निर्देश दिये गये थे:-

"..... No encroachment either in the form of Jhuggi Jhopri clusters or in any other manner by any person or organization shall be permitted... We are making it clear that no structures whether it pertains to religious, residential or commercial or any other purpose shall be allowed to exist.."

10. ना० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या-89/2013, आकाश दशिष्ठ बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 में MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION DATED 07-10-2016 का उल्लेख किया है। इस नोटिफिकेशन के प्रमुख अंश निम्नवत् हैं, जिनके द्वारा गंगा व उसकी उपनदियाँ (यमुना सहित) में डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण विधि विरुद्ध बताया गया है व पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया है:-

3. (i) "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years.
4. (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free zone to reduce pollution sources pressures and to maintain its natural ground water recharge functions.
5. Ecological flow of water in River Ganga to be maintained.

Page 7 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta Gupta

Megha Gupta

6. (3) No persons shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain are of River Ganga or its tributaries.

Decisions of State Ganga Committee or be binding. The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision and they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee.

11. कतिपय व्यक्तियों/फार्म हाउस डेवलपर द्वारा पूर्व में गलत ढंग से जिला पंचायत से नक्शा पास करा लिया गया था, परन्तु जिला पंचायत द्वारा नक्शों को निरस्त कर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पूर्व में एच0पी0एस0 ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्र0लि0 नौएडा को 5,68,512 वर्ग मज का नक्शा जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर द्वारा 16 जून, 2022 को निरस्त किया गया है।
12. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 30.09.2020 कार्यपत्र के प्रसार-30 के बिन्दु संख्या A में उद्धृत किया गया है कि: "A. ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एकरास-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार दण्डित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की हानि को बचाने के लिए अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/कॉलोनाईजेशन/खाटिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।" जिला नंगा समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 25.10.2021, 25.04.2022 एवं 19.05.2022 में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी कार्यपत्र में भी यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिए निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि याचीगण द्वारा नौएडा के अधिसूचित ग्राम- दोस्तपुर मंगरीली व असदुल्लापुर आदि में फस की गई भूमि, जो यमुना नदी से बांध के बीच में डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है पर अनाधिकृत व अवैध निर्माण किया गया है, जिसको हटाया जाना पर्यावरण, नियोजन एवं जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में फार्म हाउसों के निर्माण के कारण रिबर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विस्तार कु-प्रभावित होगा एवं बाढ़ आने की स्थिति में भारी मात्रा में जन-धन की हानि होगी। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण के कारण भविष्य में यमुना नदी में बाढ़ आने पर तटबंध पर दबाव बढ़ेगा व तटबंध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बाढ़ का पानी नौएडा के आवासीय/औद्योगिक सेक्टरों में भर जायेगा जिससे व्यापक हानि की सम्भावना उत्पन्न होगी। अतः प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2022 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है व सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 अंतिम किया जाता है। प्रत्यावेदक संजय कुमार एण्ड एशोशियेट्स, टी0-01/1502, सुप्रीम टॉवरस, सेक्टर-99, नौएडा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्ररनगत अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा ले अन्यथा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित उपाय अपनाते हुए स्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसुली भी भू-राजस्व को बकाये के भौति संबंधित से ही की जायेगी।



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में याचिका संख्या-18009/2022, अंकित गुप्ता व 29 अन्य बनाम नौएडा व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2022 एतद्वारा निरस्तारित किये जाते हैं।

(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को याचिका संख्या-18009/2022 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में सूचनार्थ।
3. मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, हेड वर्क्स, खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली-25 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संजय कुमार एण्ड एसोसियेट्स, टी0-01/1502, सुप्रीम टॉवरस, सेक्टर-99, नौएडा को सूचनार्थ।

(Signature)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

Page 9 of 9



COPY ATTESTED

NOTARY DELHI, R-16988

NO FEE 2000

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

Megha Gupta

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर - 201301

फाइल नं. नोएडा/मुद्रा/23/... 3617
दिनांक ... 14/7/23

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-18012/2022, अचिरकृत बजट नं 23 अन्य दानाम नोएडा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2022 को पारित आदेश निम्नवत् है-

"The petitioners have called in question a public notice dated 08.06.2022.

"We are of the opinion that the aforesaid course, if adopted, will sub-serve the ends of justice. We, accordingly, permit the petitioner-society and its members to file objection within ten days in pursuance of the impugned public notice, as also agreed to by learned counsel for the petitioner, and in which event, the same shall be decided by respondent no.2 by means of a speaking order. For a period of twenty days from today, the status quo as of date shall be maintained by all the parties. In case, the petitioner and its members fail to file objection within ten days from today, it shall be open to the respondent-authority to proceed further in pursuance of the impugned public notice."

Accordingly, the instant petition also stands disposed off in same terms."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में याचीगणों की ओर से राजय कुमार एण्ड एसोशियेट्स, टी0-01/1502, सुप्रीम टॉवरस, सेक्टर-29, नोएडा द्वारा दिनांक 21.07.2022 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः कथित किया गया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से फार्म हाउसों के विरुद्ध सोशल/प्रिन्ट मीडिया व चत्सानी के माध्यम से जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 विधि विरुद्ध है एवं प्रश्नगत फार्म हाउस पर डूब क्षेत्र (Active Flood Zone) सम्बन्धी नियम लागू न होने एवं प्राधिकरण की अधिकारिता के सम्बन्ध में बिन्दुओं को उठाया गया है।

याचिका संख्या-18009/2022 में पारित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.07.2022, याचिका एवं नोएडा नोएडा प्राधिकरण को सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नवत् स्थिति उभर कर सामने आती है:-

1. याचिका में वर्णित ग्राम-दोस्तपुर मंगरौली, अतदुल्लापुर आदि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र का ग्राम है। ग्राम-दोस्तपुर मंगरौली, अतदुल्लापुर उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1730-भाऊ/18-10-07 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 1997 में नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम है।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के मुताबिक प्रायश्चित्तों के तहत नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना नोएडा प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण अनुमत्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि U.P. Industrial Area Development Act, 1976 में विहित धारा 2 (ख) में यह स्पष्ट किया गया है कि-

(d) 'Industrial Development Area' means an area declared as such by the State Government by notification;

Page 1 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

Megha Gupta

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-10 में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

"If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper the planning of, or the amenities in any part of the industrial development area of the interests of the general public there, it may transferee or occupier of that site of building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain in it in such manners as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier."

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-17 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

".....Overriding effect of the Act 17.

Upon any area being declared an industrial development area under the provision of this act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban planning and Development Act, 1973, or any development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan....."

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदन के साथ कोई ऐसा अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें नोएडा प्राधिकरण से प्रश्नगत निर्माण हेतु कोई अनुमति प्राप्त किया जाना दर्शाया गया हो।

नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में New Okhla Industrial Development Area Building Regulation, 2010 के Clause No. 20.2 and 20.3 में निम्नवत उद्धृत किया गया है-

20.2 *"Unsafe Building" An unsafe building shall be considered to constitute danger to public safety hygiene and sanitation and shall be restored by repair or demolished or dealt with as otherwise directed by the Chief Executive Officer of the Authority.*

20.3 *"Unauthorised development" in case of Unauthorised development, the Chief Executive Officer or an authorized officer by the Chief Executive Officer shall-*

- Take suitable action which may include demolition of unauthorised works, sealing of premises, prosecution and criminal proceedings against the offenders in pursuance of relevant Acts in force*
- Take suitable action against the technical person concerned."*

- प्रत्यावेदन में कथित किया गया है कि सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है व उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में उल्लिखित है कि प्राधिकरण द्वारा डूब क्षेत्र में एवं बाघ रोड पर जाह-जाह दर्शनीय सुस्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगा रखे है, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं है। समय-समय पर सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से जनमानस को इस संबंध में सूचित भी किया जाता है। जहाँ तक नोटिस की व्यक्तिगत तामिला का प्रश्न है तो इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से प्रयास किया गया परन्तु स्थलीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया कि डूब क्षेत्र में बने बड़े-बड़े फार्म हाउसों में कोई स्थायी रहियश नहीं है। प्रायः इन फार्म हाउसों में 1-2 केयर टैकर रहते है जो फार्म हाउस मालिकों के नाम/ मो. न इत्यादि उपलब्ध नहीं करते है, जिससे फार्म हाउस के वास्तविक मालिक का नाम व मतां ज्ञात हो

Page 2 of 9



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

सके। इसी क्रम में सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.08.2022 को फार्म हाउसों के मुख्य द्वार पर स्थलीय स्टाफ द्वारा चरचा किया गया था। उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-89/2013, आकाश उशिश्ट वनाम यूनिवर्स ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 20.05.2013 के क्रम में कार्यवाही हेतु फार्म हाउस निवासियों के सही नाम व पते ज्ञात न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिनांक 21.06.2013 व 25.06.2013 समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की गई थी, जिससे कुछ होकर कतिपय व्यक्तियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकाएं चोखित की गयी थी। रिट याचिका संख्या-44104/2013 व अन्य सम्बन्धितों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नोटिस को सही मानते हुए दिनांक 29.08.2013 को निम्न आदेश पारित किया गया था, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

"...Considering the facts and circumstances of this case, we dispose of this writ petition with a direction that the order dated 21.6.2013 passed by the respondent-NOIDA shall be treated as a notice to the petitioner to which the petitioner may submit their response within three weeks from today. On receipt of such replies, if any, the respondent-NOIDA shall pass reasoned and speaking orders as expeditiously as possible after considering the replies and, if necessary, giving opportunity of hearing to the petitioner.

With the aforesaid directions/observations this writ petition stands disposed of."

पुनः वर्तमान में भी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 में भी सार्वजनिक नोटिस को निरस्त नहीं किया गया है व प्रत्यावेदकगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

4. प्रत्यावेदक द्वारा अपनी आपत्ति में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र व फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा के संबंध में आपत्ति की गयी है, जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने परिपत्र संख्या 38/का0प्र0अ0मू-09अ.नि.म.-3 दिनांक 15.01.2015 द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत है-

परिपत्र

उ0प्र0 की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन जोन/ फ्लड प्लेन क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में चर्चा होती रहती है। इस क्रम में उ0प्र0 की नदियों के लिए एतद्वारा फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

1. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित हैं ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
 2. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं हैं ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ़ आवर्त तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आवर्त का डूब क्षेत्र।
5. अधिशासी अभियंता हैंड वक्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली-25 द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि - "...यमुना एवं हिण्डन नदी के सूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन/फार्म हाउसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारे बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल स्थायित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-घन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। सूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा

Page 3 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा के औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में भारी जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में ग्राम-नौरंगाबाद खादर, राहपुर खादर, अस्मरपुर चकबसंतपुर, शाहपुर गोर्धनपुर खादर, नमला नमली, नमली बहरमपुर, नमली शाहपुर, बाजिदपुर छपरोली खादर, छपरोली बांगर असदुल्लापुर चकमंगरोला, बोहापुर नंगरीली खादर, किदावली आदि की भूमि में यमुना नदी तटबंध के निकट से बह रही है। बाढ़ की दृष्टि से जनपद-गौतमबुद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है।

..... अब तक हुए अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटाया जाना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी भी बाढ़ की विभिन्निका का सामना करना पड़ सकता है। यह भी अवगतनीय है कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली को आदेश सं-69/2013, आकाश सांशुच बनाम युनिगन ऑफ इण्डिया व अन्य दिनांक 20.05.2013 के आदेशानुसार फ्लड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा इस जोन को हरित जोन बनाये जाने का प्रावधान है।....”

6. अधिशासी अभियन्ता, सिविल निर्माण सफ़्ट, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.08.2022 में अवगत कराया गया है कि- “..... यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन फार्म हाऊसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही क्षतिकारक है। नदियों के किनारे बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्लावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-धन की हानि के बाढ़ का पानी गस हो जाता था। डूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब भी बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा के औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में भारी जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के नियंत्रणाधीन दो स्थानों ग्राम याकृतपुर एवं कामबकशपुर की भूमि में यमुना नदी तटबंध के अत्यधिक निकट से बह रही है। ग्राम-याकृतपुर के निकट वर्ष-1996 में यमुना नदी के किनारे पर निर्मित तटबंध बाढ़ के समय लगभग एक कि.मी. लम्बाई में कट गया था। जिसने सेना की मदद लेनी पड़ी थी। बाढ़ की दृष्टि से जनपद गौतमबुद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है।

..... अब तक हुए अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटाना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी बाढ़ की विभिन्निका का सामना करना पड़ सकता है।.....”

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नोएडा विकास क्षेत्र की महायोजना-2031 का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.08.2011 को किया गया है व शासन द्वारा दिनांक 29.09.2011 को अनापत्ति प्रदान की गयी। महायोजना के अनुसार नोएडा यमुना नदी व हिण्डन नदी के मध्य स्थित है नोएडा का क्षेत्रफल लगभग 20000 हे० है, जिसमें शाहीकरण हेतु लगभग 15000 हे० भूमि चिह्नित है व शेष लगभग 5000 हे० भूमि इन दोनों नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस भूमि को मास्टर प्लान में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट जोन के अंतर्गत दर्शाया गया है। नोएडा विकास क्षेत्र महायोजना-2031 की



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

महायोजना प्रतिवेदन के विन्दु संख्या-5.11 में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के संबंध में निम्न प्राविधान दिया गया है-

"...Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river banks and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drain. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विस्तृत प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें मनोरंजन तथा पर्यटक गतिविधियों का प्रावधान किया जायेगा। मनोरंजन एवं पर्यटक गतिविधियों में अधिकतम 1% क्षेत्रफल पर अस्थायी एवं Removable structure के निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

महायोजना-2031 के अध्याय-7 के विन्दु संख्या-7.1.1 में Use zone का उल्लेख है, जिसमें मुख्यतः 8 Use zone है, जो निम्नवत है-आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, मनोरंजन, सार्वजनिक एवं उर्द्ध सार्वजनिक, परिपक्व, कृषि/Water body, रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया।

प्रश्नगत फार्म हाउस नोएडा महायोजना-2031 के रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। महायोजना प्रतिवेदन के विन्दु संख्या-3.3.1 में विभिन्न भू-उपयोगों (Land use) में अनुमत्य गतिविधियों का उल्लेख है जिसे मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस मैट्रिक्स में विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमत्य गतिविधियों सहित अनुमत्य गतिविधियों, प्राधिकरण बोर्ड से अनुमत्य गतिविधियों तथा निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख है। इस मैट्रिक्स में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया में किसी प्रकार की गतिविधि अनुमत्य नहीं है।

फार्म हाउस के गतिविधि का उल्लेख इस मैट्रिक्स के विन्दु संख्या-9.2 में है। फार्म हाउस की Row का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह गतिविधि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भू-उपयोग में अनुमत्य है एवं अन्य सभी भू-उपयोग में निषिद्ध है। यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भूमि पर प्राधिकरण द्वारा अर्जित कर उस पर ले-आउट तैयार किये जाते हैं एवं नियमानुसार इन ले-आउट में प्रस्तावित भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। यदि ले-आउट प्लान में भूखण्ड फार्म हाउस के लिए प्रस्तावित है तो ही प्राधिकरण द्वारा गृह विनियमवली, 2010 में दिए गये प्रावधानों के अनुरूप मानचित्र



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना नौएडा की अनुमति/गवशा प्राप्त किये कोई भी निर्माण किया जाना अवैध है।

प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि को अधिष्ठित किया गया है एवं कृषि भूमि पर फार्म हाउस नियोजित किये गये हैं तथा फार्म हाउसों को नियमानुसार आवंटित किये गये हैं एवं फार्म हाउसों के आवंटित नूखण्डों पर भवन विनियमावली, 2010 के अनुसार मानचित्र भी स्वीकृत किये गये हैं।

8. प्राधिका में बाणित फार्म हाउस में बाकी द्वारा नौएडा के अधिस्थित क्षेत्र के ग्राम- दोस्तपुर मंगरौली व असदुल्लापुर आदि के डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।
9. डूब क्षेत्र के संबंध में उOप्रO शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश जारी कर डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण वेध नहीं माना है व इस संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं कुछ प्रमुख शासनादेश निम्न है-

विशेष सचिव उOप्रO शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-9-21सि-6/बाढ़/71, दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 141बी (1) 09-27-सि-2-13/बाढ़ दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अधियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या 1560/12-27-सि-0-3-43एड/08टी0सी0 दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। उक्त पत्रों के सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत हैं-

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 5923 (1) एफ 91-27सि-6/397/बाढ़/71 दिनांक 03.02.1992-

"..... जिलाधिकारी को सूचित कर दिया जाए कि फ्लड प्लेन जोन में निर्मित भवनों/आवादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराया जाएगा और ये ऐसे क्षेत्र में निर्माण कार्य पर अंकुश के लिए यू0पी0 फ्लड इमरजेंसी पॉवर (कवीजिशन एवं रिक्वीजिशन) एक्ट 1951 का प्रयोग करें....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1417बी (1) 09-27-सि-2-13/बाढ़ दिनांक 16.03.2010-

"..... i..... महायोजना के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रवर्तित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्त नहीं होगा सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का मू-उपयोग इतित रखा जाए। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशनस में फ्लड प्लेन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii. आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही को जाए।



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

iii. ऐसे क्षेत्र जो प्रस्ताव (1) एवं (2) से आच्छादित नहीं हैं, तबसे ओविय पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने की लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0 दिनांक 19.09.2012-

"..... जिलाधिकारी, गीतमबुद्धनगर को उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गीतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कृषिपर व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124,437 से0 में बनाये गये हैं। कृषिय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग को अनापत्ति भी जारी की गयी है। प्रकरण अल्पना मसीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि मध्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगत व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्मन्न बैठक का कार्यवृत्त-

"..... यमुना नदी की किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गांधिबाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह स्थित हुए हैं, को है।....."

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा भी याचिका संख्या -2142/2002, बजीरपुर बर्तन निर्माता संघ बनाम दिल्ली सरकार व अन्य में Yamuna-Removal of encroachment committee को उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2005 को माध्यम से निम्नवत निर्देश दिये गये थे:-

".....No encroachment either in the form of Jhuggi Jhopri clusters or in any other manner by any person or organization shall be permitted....We are making it clear that no structure whether it pertains to religious, residential or commercial or any other purpose shall be allowed to exist...."

10. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम सुनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 में MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION DATED 07-10-2016 का उल्लेख किया है। इस नोटिफिकेशन के प्रमुख अंश निम्नवत है, जिनके द्वारा गंगा व उसकी उपनदियों (यमुना सहित) में डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण विधि विरुद्ध बताया गया है व पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया है:-

- 3 (i) "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years.
- 4 (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free zone of reduce pollution sources pressures and to maintain its natural ground water recharge functions.
5. Ecological flow of water in River Ganga to be maintained.

Page 7 of 9

Megha Gupta



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

6. (3) No persons shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain are of River Ganga or its tributaries.

Decisions of State Ganga Committee to be binding. The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision any they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee.

11. कतिपय व्यक्तियों/फार्म हाउस डेवलपर द्वारा पूर्व में गलत ढंग से जिला पंचायत से नक्शा पास करा लिया गया था, परन्तु जिला पंचायत द्वारा नक्शों को निरस्त कर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पुर्न में एच0सी0एस0 ग्रीन इनकारड्रक्चर प्रा0लि0 नौरडा को 5,68,512 वर्ग गज का नक्शा जिला पंचायत गीतमबुद्धनगर द्वारा 18 जून, 2022 को निरस्त किया गया है।
12. वहाँ वहाँ भी तल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गीतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 30.09.2020 कायम के प्रसार-30 के दिनु संस्था A में उद्धत किया गया है कि "A. ग्रेटर नौरडा/नौरडा/यमुना एकराप्रस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार दर्शित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की क्षति को बचाने के लिए अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/कॉलोनाईजेशन/लाटिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अधिकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।" जिला गंगा समिति, गीतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 25.10.2021, 25.04.2022 एवं 19.05.2022 में जिलाधिकारी, गीतमबुद्धनगर द्वारा जारी कार्यदृष्ट में भी यमुना एवं सिन्धु नदियों के डूब क्षेत्र में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने जाते हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि याचीगण द्वारा नौरडा के अधिसूचित ग्राम- दोस्तपुर मंगरौली व असबुल्लापुर आदि में क्रय की गई भूमि, जो यमुना नदी से बांध के बीच में डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है पर अनाधिकृत व अवैध निर्माण किया गया है जिसको हटाया जाना पर्यावरण, नियोजन एवं जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में फार्म हाउसों के निर्माण के कारण स्विच फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विकास कु-प्रभावित होगा एवं बाढ़ आने की स्थिति में भारी मात्रा में जन-धन की हानि होगी। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण के कारण भविष्य में यमुना नदी में बाढ़ आने पर तटबंध पर दबाव बढ़ेगा व तटबंध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बाढ़ का पानी नौरडा के आवासीय/औद्योगिक सेक्टरों में भर जायेगा जिससे व्यापक हानि की सम्भावना उत्पन्न होगी। अतः प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2022 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है व सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 अंतिम किया जाता है। प्रत्यावेदक संजय कुमार एण्ड एसोसियेट्स, टी0-01/1502, सुप्रीम टॉवरस, सेक्टर-99, नौरडा को निर्देशित किया जाता है कि ये प्ररगत अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा ले अन्यथा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की वसूली भी मू-राजस्व के बकायों के भौति संबंधित से ही की जायेगी।



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राधिका संख्या-18012/2022, अचिरुप बनर्जी व 23 अन्य बनाम नौएडा व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 21.07.2022 एतद्वारा निस्तारित किये जाते हैं।


(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी गीतामबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को राधिका संख्या-18012/2022 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में सूचनार्थ।
3. मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली-25 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संजय कुमार एण्ड एसोशियेट्स, टी0-01/1502, सुप्रीम टॉवरस, सेक्टर-99, नौएडा को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा



COPY ATTESTED

DELHI-16008
INDIA

09 FEB 2025 Page 9 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

Recd on
16/12/2023

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर - 201301

पत्रांक-नौएडा/भूलेख/2023/3270
दिनांक 07/12/23

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-20371/2023, राजीव सिंघल व 13 अन्य बनाम नौएडा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2023 को पारित आदेश निम्नवत् है:-

".....5. Learned counsel for the petitioners has argued that not only objections have been filed to the notice but even the land in question has not been acquired by the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) so as to restrain the petitioners from raising any construction. It is also argued that pending objection before the competent authority propriety demanded that any demolition exercise ought to have been carried out any further only after the decision was taken by the authority.

6. In view of the above, without entering into the merits of the claim of the parties we dispose of this writ petition with a direction to the competent authority to decide the objection filed by the petitioners in response to the public notice issued on 08.06.2022 strictly in accordance with law. It will be open for the petitioners to raise all such grounds as may be available to them or may be advised including the ground regarding competence of the authority in issuing orders for demolition over and above the land in question.

7. It is given to understand that the petitioners shall also not be raising any further construction over the land in question.

8. The appropriate decision shall be taken by the authority within a period of 30 days of production of certified copy of this order along with objection.

9. It is also hereby provided that until the decision is taken by the authority competent in the matter, no further demolition exercise shall be carried out pursuant to the notice issued on 08.06.2022 qua the petitioners are concerned. 10. It will remain open for the petitioners to file objection within a period of three weeks from today. "

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में याचीगणों की ओर से राजीव सिंघल पुत्र वेद प्रकाश, निवासी डी-102, सेक्टर-26, नौएडा एवं 13 अन्य के द्वारा दिनांक 11.07.2023 को अपना संयुक्त प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः कथित किया गया कि नौएडा प्राधिकरण यही ओर से फार्म हाउसों के विरुद्ध सोशल/प्रिन्ट मीडिया व घरघानगी के माध्यम से जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 विधि विरुद्ध है एवं प्रश्नगत फार्म हाउस पर डूब क्षेत्र (Active Flood Zone) सम्बन्धी नियम लागू न होने एवं प्राधिकरण की अधिकारिता के सम्बन्ध में बिन्दुओं को उठाया गया है।

याचिका संख्या-20371/2023 में पारित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.06.2023, याचिका एवं नौएडा नौएडा प्राधिकरण के सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नवत् स्थिति उभर कर सामने आती है:-

Page 1 of 10



Megha Gupta

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

1. याचिका में वर्णित ग्राम-चक मंगरीला, दोरतपुर मंगरीली खादर, नंगली नंगला आदि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र का ग्राम है। ग्राम-चक मंगरीला एवं दोरतपुर मंगरीली खादर उ०प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1730-भाऊ/18-10-97 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 1997 में एवं ग्राम-नंगली नंगला उ०प्र० शासन, उद्योग अनुभाग-II द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-2042-भाऊ/18-11-123 (एन)/85 लखनऊ, दिनांक 11.07.1989 में नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम है। ग्राम-नंगला बहरामपुर नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र का ग्राम नहीं है।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्रावधानों के तहत नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण अनुमत्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि U.P. Industrial Area Development Act, 1976 में विहित धारा-2 (डी) में यह स्पष्ट किया गया है कि-

(d) 'Industrial Development Area' means an area declared as such by the State Government by notification;

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-10 में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

"If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper the planning of, or the amenities in any part of the industrial development area of the interests of the general public there, it may transferee or occupier of that site of building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain in it in such manners as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier."

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-17 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

".....Overriding effect of the Act 17.

Upon any area being declared on industrial development area under the provision of this act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban planning and Development Act, 1973, or any development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan...."

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदन के साथ कोई ऐसा अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें नौएडा प्राधिकरण से प्रश्नगत निर्माण हेतु कोई अनुमति प्राप्त किया जाना दर्शाया गया हो।

नौएडा प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में New Okhla Industrial Development Area Building Regulation, 2010 के Clause No. 20.2 and 20.3 में निम्नवत उद्धृत किया गया है-

20.2 **"Unsafe Building"** An unsafe building shall be considered to constitute danger to public safety hygiene and sanitation and shall be restored by repair or demolished or dealt with as otherwise directed by the Chief Executive Officer of the Authority.

Page 2 of 10



Megha Gupta

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

20.3 "Unauthorised development" In case of Unauthorised development, the Chief Executive Officer or an authorized officer by the Chief Executive Officer shall-

- (i) Take suitable action which may include demolition of unauthorised works, sealing of premises, prosecution and criminal proceedings against the offenders in pursuance of relevant Acts in force.
- (ii) Take suitable action against the technical person concerned."

3. प्रत्यावेदन में कथित किया गया है कि सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है व उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में उल्लिखित है कि प्राधिकरण द्वारा डूब क्षेत्र में एवं बांध रोड पर जगह-जगह दर्शनीय सुस्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमत्त नहीं है। समय-समय पर सौशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से जनमानस को इस संबंध में सूचित भी किया जाता है। जहाँ तक नोटिस की व्यक्तिगत तामिला का प्रश्न है तो इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से प्रयास किया गया परन्तु स्थलीय स्टाफ द्वारा अवगत कराया कि डूब क्षेत्र में बने बड़े-बड़े फार्म हाउसों में कोई स्थायी रिहायश नहीं है। प्रायः इन फार्म हाउसों में 1-2 केयर टेकर रहते हैं, जो फार्म हाउस मालिकों के नाम/ मो. नं इत्यादि उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे फार्म हाउस के वास्तविक मालिक का नाम व पता ज्ञात हो सके। इसी क्रम में सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 को फार्म हाउसों के मुख्य द्वार पर स्थलीय स्टाफ द्वारा चस्पा किया गया था। उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 20.05.2013 के क्रम में कार्यवाही हेतु फार्म हाउस निवासियों के सही नाम व पते ज्ञात न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिनांक 21.06.2013 व 25.06.2013 समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर कतिपय व्यक्तियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकाएं योजित की गयी थी। रिट याचिका संख्या-44104/2013 व अन्य सम्बद्ध रिटों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नोटिस को सही मानते हुए दिनांक 29.08.2013 को निम्न आदेश पारित किया गया था, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"...Considering the facts and circumstances of this case, we dispose of this writ petition with a direction that the order dated 21.6.2013 passed by the respondent-NOIDA shall be treated as a notice to the petitioner to which the petitioner may submit their response within three weeks from today. On receipt of such replies, if any, the respondent-NOIDA shall pass reasoned and speaking orders as expeditiously as possible after considering the replies and, if necessary, giving opportunity of hearing to the petitioner.

With the aforesaid directions/observations this writ petition stands disposed of."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.06.2023 में भी सार्वजनिक नोटिस को निरस्त नहीं किया गया है व प्रत्यावेदकगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

4. प्रत्यावेदक द्वारा अपनी आपत्ति में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र व फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा के संबंध में आपत्ति की गयी है, जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने परिपत्र संख्या 38/का0प्र0अ0भू-

Page 3 of 10



Megha Gupta

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

0931 नि.म.-3 दिनांक 15.01.2015 द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत है-

परिपत्र

उ0प्र0 की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन जोन/ फ्लड प्लेन क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में घर्षा होती रहती है। इस क्रम में उ0प्र0 की नदियों के लिए एतद्वारा फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

1. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
2. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं हैं ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ़ आर्बत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आर्बत का डूब क्षेत्र।

5. अधिशासी अभियंता हेंड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली-25 द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि - ".....यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन/फार्म हाउसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारे बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्लावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-धन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। डूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा के औद्योगिक एवं आवासीय सैक्टरों में भार जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में ग्राम-नौरंगबाद खादर, रायपुर खादर, असगरपुर चकबसंतपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर खादर, नगला नगली, नगली बहरामपुर, नगली शागपुर, वाजिदपुर, छपरोली खादर, छपरोली बांगर, असदुल्लापुर, चकमंगरोला, दोस्तपुर मंगरोली खादर, किदावली आदि की भूमिमें यमुना नदी तटबंध के निकट से बह रही है बाढ़ की दृष्टि से जनपद-गौतमुबद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है।

..... अब तक हुये अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटाया जाना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मान्य सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी भी बाढ़ की विभिन्निका का सामना करना पड़ सकता है। यह भी अवगतनीय है कि मा0 नैशनल ग्रीन ट्र्यूनल की प्रिंसिपल बैंच नई दिल्ली के आदेश सं0-80/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दिनांक 20.05.2013 के आदेशानुसार फ्लड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा इस जोन को हरित जोन बनाये जाने का प्राविधान है। "

6. अधिशासी अभियंता, सिचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.08.2022 में अवगत कराया गया है कि- "..... यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

में हो रहे अवैध भवन फार्म हाऊसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारे बनारे जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्लावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-धन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। डूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब भी बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा के औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में भारी जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के नियंत्रणाधीन दो स्थानों ग्राम याकूतपुर एवं कामबकशपुर की भूमि में यमुना नदी तटबंध के अत्यधिक निकट से बह रही है। ग्राम-याकूतपुर के निकट वर्ष-1996 में यमुना नदी के किनारे पर निर्मित तटबंध बाढ़ के समय लगभग एक कि.मी. लम्बाई में कट गया था। जिसमें सेना की मदद लेनी पड़ी थी। बाढ़ की दृष्टि से जनपद गौतमबुद्धनगर संवेदनशील की श्रेणी में है।

..... अब तक हुए अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी बाढ़ की विभिन्निका का सामना करना पड़ सकता है।..... "

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नोएडा विकास क्षेत्र की महायोजना-2031 का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.08.2011 को किया गया है व शासन द्वारा दिनांक 29.09.2011 को अनापत्ति प्रदान की गयी। महायोजना के अनुसार नोएडा यमुना नदी व हिण्डन नदी के मध्य स्थित है नोएडा का क्षेत्रफल लगभग 20000 हे० है, जिसमें शहरीकरण हेतु लगभग 15000 हे० भूमि चिन्हांकित है व शेष लगभग 5000 हे० भूमि इन दोनों नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस भूमि को मास्टर प्लान में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट जोन के अंतर्गत दर्शाया गया है। नोएडा विकास क्षेत्र महायोजना-2031 की महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-5.11 में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के संबंध में निम्न प्राविधान दिया गया है:-

"....Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river banks and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drain. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be

Page 5 of 10



Megha Gupta

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta Gupta

kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विस्तृत प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें मनोरंजन तथा पर्यटक गतिविधियों का प्रावधान किया जायेगा। मनोरंजन एवं पर्यटक गतिविधियों में अधिकतम 1% क्षेत्रफल पर अस्थायी एवं Removable structure के निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

महायोजना-2031 के अध्याय-7 के बिन्दु संख्या-7.1.1 में Use zone का उल्लेख है, जिसमें मुख्यतः 8 Use zone हैं, जो निम्नवत हैं:-आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, मनोरंजन, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, परिवहन, कृषि/Water body, रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया।

फार्म हाउस फार्म हाउस नौएडा महायोजना-2031 के रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-3.3.1 में विभिन्न भू-उपयोगों (Land use) में अनुमन्य गतिविधियों का उल्लेख है जिसे मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस मैट्रिक्स में विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमन्य गतिविधियों सहित अनुमन्य गतिविधियों, प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य गतिविधियों तथा निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख है। इस मैट्रिक्स में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया में किसी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं है।

फार्म हाउस के गतिविधि का उल्लेख इस मैट्रिक्स के बिन्दु संख्या-9.2 में है। फार्म हाउस की Row का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह गतिविधि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भू-उपयोग में अनुमन्य है एवं अन्य सभी भू-उपयोग में निषिद्ध है। यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भूमि पर प्राधिकरण द्वारा अर्जित कर उस पर ले-आऊट तैयार किये जाते हैं एवं नियमानुसार इन ले-आऊट में प्रस्तावित भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। यदि ले-आऊट प्लान में भूखण्ड फार्म हाउस के लिए प्रस्तावित है तो ही प्राधिकरण द्वारा भवन विनियमावली, 2010 में दिए गये प्रावधानों के अनुरूप मानचित्र स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना नौएडा की अनुमति/नक्शा पास किये कोई भी निर्माण किया जाना अवैध है।

प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि को अर्जित किया गया है एवं कृषि भूमि पर फार्म हाउस नियोजित किये गये हैं तथा फार्म हाउसों को नियमानुसार आवंटित किये गये हैं एवं फार्म हाउसों के आवंटित भूखण्डों पर भवन विनियमावली, 2010 के अनुरूप मानचित्र भी स्वीकृत किये गये हैं।

Page 6 of 10



Megha

Li

Sumit

WMI

Megha
Megha Aggarwal Gupta

8. याधिका मे वर्णित फार्म हाउस मे याधी द्वारा नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम-वर्क मंगरीला, दोरतापुर मंगरीली खादर, मंगली मंगला आदि के डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।
9. डूब क्षेत्र के संबंध में उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश जारी कर डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण वैध नहीं माना है व इस संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं कुछ प्रमुख शासनादेश निम्न है-

विशेष सचिव उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-9-21सि.-6/बाढ़/71, दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 141बी (1) 09-27-सि०-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या 1560/12-27-सि०-3-43एल/08टी०सी० दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। उक्त पत्रों के सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत है:-

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 5923 (1) एफ 91-27सि-6/397/बाढ़/71 दिनांक 03.02.1992:-

".....जिलाधिकारी को सूचित कर दिया जाए कि फ्लड प्लेन जोन में निर्मित भवनों/आबादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराया जाएगा और वे ऐसे क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर अंकुश के लिए यू०पी० फ्लड इमरजेंसी पॉवर (क्वीजिशन एवं रिवीजिशन) एक्ट 1951 का प्रयोग करें....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1417बी (1) 09-27-सि-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010:-

"..... i..... महायोजना के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाए। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii. आरबी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जाएगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाए।....."

iii. ऐसे क्षेत्र जो प्रस्तर-(1) एवं (2) से आच्छादित नहीं है, उसमें जोचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।"

Page 7 of 10



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1560/12-27-रि-3-43एल/00टी0सी0 दिनांक 19.09.2012:-

".....जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124.437 हे० में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी है। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

"..... यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए हैं, की है।....."

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा भी याचिका संख्या -2112/2002, वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ बनाम दिल्ली सरकार व अन्य में Yamuna-Removal of encroachment committee को उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2005 के माध्यम से निम्नवत निर्देश दिये गये थे:-

".....No encroachment either in the form Jhuggi Jhopri clusters or in any other manner by any person or organization shall be permitted....We are making it clear that no structure whether it pertains to religious, residential or commercial or any other purpose shall be allowed to exist..."

10. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 में MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION DATED 07-10-2016 का उल्लेख किया है। इस नोटिफिकेशन के प्रमुख अंश निम्नवत है, जिनके द्वारा गंगा व उसकी उपनदियों (यमुना सहित) में डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण विधि विरुद्ध बताया गया है व पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया है:-

- 3 (i) "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years.
- 4 (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free zone to reduce pollution sources pressures and to maintain its natural ground water recharge functions.
5. Ecological flow of water in River Ganga to be maintained.

Page 8 of 10



Megha Gupta

Li:

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

6. (3) No persons shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain are of River Ganga or its tributaries.

Decisions of State Ganga Committee to be binding.- The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision any they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee."

11. कतिपय व्यक्तियों/फार्म हाउस डेवलपर द्वारा पूर्व में गलत ढंग से जिला पंचायत से नक्शा पास करा लिया गया था, परन्तु जिला पंचायत द्वारा नक्शों को निरस्त कर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पूर्व में एच0पी0एस0 ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 नौएडा को 5.68.512 वर्ग गज का नक्शा जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर द्वारा 16 जून, 2022 को निरस्त किया गया है।
12. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 30.09.2020 कार्ययुक्त के प्रस्तर-30 के विन्दु संख्या 8 में उद्धृत किया गया है कि "...A. ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की क्षति को बचाने के लिए अवैध एवं अनधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/फॉलोनाईजेशन/प्लानिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।..." जिला गंगा समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 25.10.2021, 25.04.2022 एवं 19.05.2022 में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी कार्ययुक्त में भी यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि याचीगण द्वारा नौएडा के अधिसूचित ग्राम-घक मंगरीला व दोस्तपुर मंगरीली खादर, नंगली नंगला आदि में क्रय की गई भूमि, जो यमुना नदी से बांध के बीच में डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है पर अनाधिकृत व अवैध निर्माण किया गया है, जिसको हटाया जाना पर्यावरण, नियोजन एवं जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में फार्म हाउसों के निर्माण के कारण रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विकास कु-प्रभावित होगा एवं बाढ़ आने की स्थिति में भारी मात्रा में जन-धन की हानि होगी। डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण के कारण भविष्य में यमुना नदी में बाढ़ आने पर तटबंध पर दबाव बढ़ेगा व तटबंध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बाढ़ का पानी नौएडा के आधारीय/औद्योगिक रोमटरो में भर जायेगा जिससे व्यापक हानि की सम्भावना उत्पन्न होगी। अतः प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 11.07.2023 बलाहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है व सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 अंतिम किया जाता है। प्रत्यावेदक राष्ट्रीय सिंधल पुत्र वेद प्रकाश, निगारी डी-102, सैक्टर-126, नौएडा एवं 13 अन्य को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा ले अन्यथा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित

Page 9 of 10



Megha Gupta

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

उपाय अपनाते हुए धरतीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय जी वसूली भी भू-राजस्व के बकाये के भौति संबंधित से ही की जायेगी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में याचिका संख्या-20371/2023, राजीव सिंघल व 13 अन्य बनाम नौएडा व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.06.2023 के अनुपालन में प्रत्यावेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 11.07.2023 एतद्वारा निस्तारित किये जाते हैं।

(लोकेश एम.)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को याचिका संख्या-20371/2023 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2023 के अनुपालन में सूचनार्थ।
3. मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली-25 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. राजीव सिंघल पुत्र वेद प्रकाश, निवासी डी-102, सेक्टर-26, नौएडा को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

Megha Gupta



Page 10 of 10

TRUE COPY, ATTESTED

NOTARY DELHI R-16988
GOVT. OF INDIA

09 FEB 2026

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

आदेश

यमुना हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में हो रहे अनेक निर्माण के संबंध में नौएडा प्राधिकरण द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से युक्त होकर पक्षकारों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विभिन्न रिट याचिकाएं योजित की गयी है- 1. रिट याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 2. याचिका सं० 17304/2022, श्रीमती कविता शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य, 3. याचिका सं० 17305/2022, वैभव विशाल श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य, 4. रिट याचिका सं० 17178/2022, अमित सेठ व 02 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य, 5. रिट याचिका सं० 17321/2022 प्रवीन जैन व 13 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 02 अन्य, 6. रिट याचिका सं० 18755/2022 श्रीमती संगीता प्रसाद बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य आदि। इसी संबंध में मा० न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 17175/2022, हरित किसान कल्याण समिति बनाम नौएडा व 02 अन्य भी योजित की गयी है, जिसमें मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2022 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

".... On a query made by Court as to whether there is in existence any individual demolition orders against members of the petitioner society or other persons who are getting affected by the impugned public notice, he admits that there is no individual order in existence. He tried to contend that it is difficult for the authority to identify the actual owner/occupier of the plot/land over which such constructions have been raised, therefore, individual notice/order has not been issued so far. He, however, states that in case, the petitioner-society and its members file objection in pursuance of impugned public notice, treating it to be a show cause notice, the NOIDA Authority will decide the same and will not take any action, till the disposal of the objection.

We are of the opinion that the aforesaid course, if adopted, will sub-serve the ends of justice. We, accordingly, permit the petitioner-society and its members to file objection within ten days in pursuance of the impugned public notice, as also agreed to by learned counsel for the petitioner, and in which event, the same shall be decided by respondent no. 2 by means of a speaking order. For a period of twenty days from today, the status quo as of date shall be maintained by all the parties.

In case, the petitioner and its members fail to file objection within ten days from today, it shall be open to the respondent authority to proceed further in pursuance of the impugned public notice.

The petition stands disposed off, accordingly..

मा० न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में पक्षकारों द्वारा प्राधिकरण व अन्य को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जो प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी महोदय को निस्तारण हेतु प्रेषित किये गये हैं।

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र सं० नौएडा/भूलेख/202/1830 दिनांक 12.07.2022 में कथित 44 प्रत्यावेदन एवं पत्र सं० नौएडा/भूलेख/2022/1908, दिनांक 02.08.2022 में कथित 06 प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये, जो मूल रूप से कुल 18 प्रत्यावेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्न है:-



L1

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

क्र० सं०	प्रत्यावेदक का नाम	प्रत्यावेदन प्राप्ति का दिनांक	संबंधित ग्राम का नाम	अन्य विवरण
1	श्रीमती सारिता शिघल पत्नी श्री अशोक कुमार नि० 111, सुखदेव विहार नई दिल्ली	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य
2	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा नि० 1238, सै० 5 मोहन भिक्किन्स सोसायटी गाजियाबाद।	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य
3	श्रीमती कविता शर्मा निवासी 172, काननूगो अपार्टमेंट प्लॉट नं० 71, आई०पी० एक्सप्लोरेशन पटपटगंज।	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17304/2022, श्रीमती कविता शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य
4	श्रीमती अनुमिातल पत्नी सुनील मिततल निवासी डी120, साउथ नगर प्रथम, गुडगांवा हरियाणा।	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य
5	श्रीमती रूची जैन पत्नी श्री नीरज जैन, निवासी सी220, सूर्यनगर, गाजियाबाद	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य
6	श्री नीरज जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी सी220, सूर्यनगर, गाजियाबाद	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य
7	श्री हितेन्द्र जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द्र जैन निवासी 1706-एम०, रंगालिया हाईटस इन्द्रापुरम शिप्रा सन सिटी, गाजियाबाद।	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य
8	श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री ब्रजमोहन निवासी 220ए, प्रथमतल डेरावल नगर, दिल्ली।	29.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17310/2022, सुनील कुमार शर्मा व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य
9	श्री विवेकशंकर पुत्र श्री सुकुमार शंकर व श्रीमती इला शंकर नि० सी-886, न्यू फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली।	22.06.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 17175/2022, हरित किसान कल्याण समिति बनाम नौएडा व 02 अन्य
10	श्री रजनीश चौबे पुत्र श्री पारसनाथ फ्लैट नं० डी-1101, रेजीडेन्सी टूडे होम्स सै० 135 नौएडा।	28.06.2022	किडावली	याचिका सं० 17175/2022, हरित किसान कल्याण समिति बनाम नौएडा व 02 अन्य
11	श्री वैभव विशाल श्रीवास्तव पुत्र श्री पी०एन० श्रीवास्तव निवासी 449 ^{जी} /1, बाघवरी गद्दी, शिवाजीनगर अल्लापुर इलाहाबाद।	24.06.2022	किडावली	याचिका सं० 17305/2022, वैभव विशाल श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य



L:

Sumit

WMI-

Mehta

Mehta

12	श्रीमती स्मृती सिद्ध प्रतिनिधि निखिल सिद्ध पुत्र श्री बिजेन्द्र सिद्ध निवासी 227 कलेक्टर गज रोडवेज हापुड।	29.06.2022	किडावली	याचिका सं० 17175/2022, हरित किसान कल्याण समिति बनाम नौएडा व 02 अन्य
13	श्री अमित सेठ व कर्निका सेठ निवासी बी-10, सै० 40 नौएडा।	23.06.2022	किडावली	याचिका सं० 17178/2022, अमित सेठ व 02 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 05 अन्य
14	श्री प्रवीन जैन पुत्र श्री एस०सी० जैन व श्रीमती पूजा जैन पत्नी प्रवीन जैन, नि०-74, बैंक इकलेव, नियर लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 श्री धीरज कुमार सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, नि० ए०-438, टेलीकॉम सिटी, सै०-62, नौएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, श्री कुमार मनीष पुत्र श्री बिनोद कुमार झा, नि० म० नं० ए०-302, प्रियदर्शनी अपार्टमेन्ट, पटना, बिहार, मै० सिनरजी इन्टर नेशनल प्रोजे० प्रा० लि० द्वारा मनोरंज मोहन्ती पुत्र श्री जे०सी० मोहन्ती, नि० कं०-8001, रॉयल गार्डन एस्टेट, रु०-61, नौएडा, गौतमबुद्धनगर, श्रीमती रोजी टिक्कू कौल पत्नी श्री राजेश कौल, नि० एफ०-93, ग्रीनबुड सिटी, सै०-46, गुडगांव, श्रीमती सोनििका मेहरोत्रा पत्नी श्री आशीष मेहरोत्रा, नि० सी०-14, सीमा अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं०-7, सै०-11, द्वारिका, नई दिल्ली, श्रीमती कोमल महाजन, पत्नी श्री अशोक महाजन, नि० एफ०-273 डी०, पाकेट- एफ०, दिवाशाद गार्डनख वीटीसी० झिलमिल, पूर्वी दिल्ली, योगेश सूद पुत्र श्री धर्मवीर सूद, नि० ई०-4, तृतीय तल, लाजपत नगर-3, दक्षिण दिल्ली।	27.06.2022	किडावली व दोस्तापुर मंगरौली खादर	याचिका सं० 17321/2022, प्रवीन जैन व 13 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 02 अन्य
15	श्री अजय गुप्ता, 27, 28, सुदेश स्कायर मार्केट, प्रकाश इन्डस्ट्रियल स्टेट, पोस्ट ओफिस- चिकम्वरपुर,	30.06.2022	किडावली	याचिका सं० 17175/2022, हरित किसान कल्याण समिति बनाम नौएडा व 02 अन्य



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

16	गाजियाबाद। श्री स्मृति सिद्ध	06.07.2022	किडावली	याचिका सं० 17175/2022, हरित किसान कल्याण समिति बनाम नौएडा व 02 अन्य
17	श्रीमती संगीता प्रसाद पत्नी कर्नल रवि प्रसाद (रिटायर्ड), 804, टॉवर-2, इम्पीरियल कोर्ट, जे०पी० ग्रीन विश टाउन, सै०-128, नौएडा	14.07.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 18755/2022, श्रीमती संगीता प्रसाद बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य
18	श्री सुबिमल महाचार्य पुत्र स्व० श्री एस०सी० महाचार्य, जी०-1502, टॉवर-जी०, ग्रेट वैल्यू शरमनए विश्वकर्मा मार्ग, सै०-107, नौएडा, गौतमबुद्धनगर।	18.07.2022	नंगला बहरामपुर	याचिका सं० 18755/2022, श्रीमती संगीता प्रसाद बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य

उक्त प्रत्यावेदनों में मुख्य रूप से यह कथन प्रस्तुत किये गये हैं कि

(a) The Applicant is a law abiding citizen of the country and has not conducted any illegal activity during or after the construction of the temporary structure on the Said land;

(b) The Said land has not yet been acquired by NOIDA from the Applicant;

(c) The NOIDA Authority holds no authority in regard to demolition or removal of structures polluting the river when such a power has been exclusively conferred on the NMCG;

(d) No building bylaws were conveyed / informed / available during the construction of the temporary structure

(e) The Said land does not have any benchmark/demarcation in the name of the river bed of rivers Yamuna or Hindan;

(f) The said property does not fall within the 'active flood plains' area;

(g) No sewage or waste water is flowing directly into river Yamuna;

(h) The objector is lawful owner of the agricultural and farm house land and the revenue authorities have given bhumidhari rights to the objector.

That in view of the aforesaid, it is evidently clear that the Public Notice dated 08.06.2022 is arbitrary, illegal and against the settled principles of law. It is therefore requested that the said illegal Public Notice dated 08.06.2022 be withdrawn, specifically against the Objector herein otherwise the undersigned



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

demands that he or his client shall be called upon in person to present his evidences to support his claim in compliance of Natural Justice before passing any order so that the order of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad be complied in letter and spirit and the objections of the objector shall be decided by reasoned and speaking order.

उक्त के सम्बन्ध में प्रत्यावेदनो के परीक्षण हेतु जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के सदस्यों अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) व उपजिलाधिकारी (न्या०) वादरी द्वारा समस्त प्रत्यावेदनो के अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया। जिसके क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1- डूब क्षेत्र में हुए तथा हो रहे अवैध अतिक्रमणों के बारे में पूर्व में भी विभिन्न स्तरों तथा जिला आपदा प्रबन्धक प्राधिकरण, शासन तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध विचार करते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त स्थापित किये गये हैं। जनपद गीतमवुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बड़े पैमाने पर हो रहे अन्धधुंध अवैध एवं अनाधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लॉटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विचार करते हुए विभिन्न बिन्दु प्रतिपादित किये हैं:-

- (i) प्राधिकरणों की महायोजना में हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रंट डवलपमेंट के रूप में नियोजित किया गया है। जैसे कि नौएडा विकास क्षेत्र महायोजना-2031 की महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 05, 11 में हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रंट डवलपमेंट के रूप में नियोजित करने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं-

"Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000ha. land situated in river front area of both the rivers because this is basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river bank and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drains. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some time due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

5 Page

that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

उपरोक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विस्तृत प्लान तैयार किया जायेगा, जिस पर मनोरंजन तथा पर्यटक गतिविधियों का प्रावधान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण सं०-नोएडा/भूलेख/2022/1893 दिनांक 27.07.2022 के प्रस्तर सं० 06 में यह उल्लेख किया है कि नोएडा विकास क्षेत्र की महायोजना-2031 का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 25.08.2011 को किया गया है व शासन द्वारा दिनांक 29.09.2011 को अनुमति प्रदान की गयी। महायोजना के अनुसार नोएडा यमुना नदी व हिण्डन नदी के मध्य स्थित है नोएडा का क्षेत्रफल लगभग 20000 है० है जिसमें शहरीकरण हेतु लगभग 15000 है० भूमि चिन्हांकित है व शेष लगभग 5000 है० भूमि इन दोनों नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस भूमि को मास्टर प्लान में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट जोन के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

महायोजना-2031 के अध्याय-7 के बिन्दु सं०-7.1.1 में Use zone का उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्यतः 8 Use zone है, जो निम्नवत है:- आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, मनोरंजन, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, परिवहन कृषि/ Water body, रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया।

प्रश्नगत स्थल नोएडा महायोजना 2031 के रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-3.3.1 में विभिन्न भू-उपयोगों (Land use) में अनुमन्य गतिविधियों का उल्लेख है जिसे मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस मैट्रिक्स में विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमन्य गतिविधियों सशर्त अनुमन्य गतिविधियों, प्राधिकरण बोर्ड से अनुमन्य गतिविधियों तथा निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख है। इस मैट्रिक्स में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया में किसी प्रकार की गतिविधि अनुमन्य नहीं है।

- (ii) जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एव हिण्डन नदियों का डूब क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, तथा अनेक गैर आबाद गांव यमुना नदी के डूब क्षेत्र में सर्वे व अभिलेख क्रिया के अन्तर्गत आते हैं। प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का नियन्त्रण प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में ही है और इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास एवं रख-रखाव के दायित्वों का निर्वहन भी उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अनुसार तीनों प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है।



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

- (iii) इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 1417बी(1)09-27-सि-02-18/वाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, सिंचाई के पत्र दिनांक 19.09.2012 एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक दिनांक 20.06.2013 के अनुक्रम में जारी कार्यवृत्त दिनांक 27.06.2017 में दिशे गये दिशा-निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि जनपद गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में होने वाले अवैध एवं अनाधिकृत क्षेत्र के विरुद्ध कार्यवाही हेतु तीनों प्राधिकरणों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।
- (iv) यह भी अवगत कराया गया कि नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण अनुमन्य नहीं है। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उ०प्र० शासन को सम्बोधित पत्र सं० 5923(1)एफ-9-21सि-6/बाढ़/71 दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उ०प्र० शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 1417बी(1)09-27-सि-02-18/वाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उ०प्र० को सम्बोधित पत्र सं० 1560/12-27-सि०-3-43एल/08टी०सी०, दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

मुख्य सचिव कार्यवृत्त:-

.....यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा ग्रेटर नौएडा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए हैं, की है।.....

- (v) गौरतलब है कि अवैध निर्माणों को गिराने तथा नियंत्रित करने के लिए उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(घ), 2 (छ), 9(1), व 10 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है :-
- 2(घ)- "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करें।
- 6(छ)- भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना।
- 9(1)- कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।
- 10- यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहाँ सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिसा तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करें, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर



Li

Sumit

WMI-

Megha

Megha

सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसी अन्तरिती या अध्यायी से वसूल कर सकता है।

- (vi) उपरोक्त के अतिरिक्त उ०प्र०शासन की अधिसूचना सं० 2213/77-4-10-158एन/85 दिनांक 30.11.2010 द्वारा जारी नवीन आखला विकास क्षेत्र भवन नियमावली-2010 तथा अधिसूचना सं० 2159/77-4-10-284भ/91 दिनांक 20.12.2010 द्वारा जारी ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एरिया विल्डिंग रेगुलेशन, 2010 के नियम 20.2 व 20.3 के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं—
- 20-2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन हैं, जो संरचनात्मक रूप से असुरक्षित है तथा अस्वास्थ्यकर है या जिनमें निकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवजीवन के लिए अन्वय्य रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीणशीर्णता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20-3 "अनाधिकृत विकास— अनाधिकृत विकास के मामलों में मुख्यकार्यपालक अधिकारी—

(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा, जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जाना एवं दण्डक कार्यवाहियां किया जाना सम्मिलित है।

(ब) संबन्धित तकनीकी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

- (vii) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम-2005 की धारा-34 में सम्भावित आपदा की स्थिति होने की दशा में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कर्तव्य एवं शक्तियां निम्नवत् परिभाषित है—

"Recommend to any Department of the Government of the State or any authority or body under that Government at the district level to take such measures as are necessary in its opinion."

- (viii) प्रत्यावेदको द्वारा अपनी आपत्ति में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र व फ्लड प्लेन जोन के परिभाषा के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है। जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि सिचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने परिपत्र संख्या 38/का०प्र०अ०भू-09अ०नि०म०-3 दिनांक 15.01.2015 द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो निम्न है:-

उ०प्र० की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन क्षेत्र/फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा के संबंध में चर्चा होती रहती है। इस क्रम में उ०प्र० की नदियों के लिये एतद्वारा फ्लड जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

- a- जहां नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
- b- जहां नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ़ आर्वत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आर्वत का डूब क्षेत्र।

2. यह भी अवगत कराना है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियन्त्रण एवं उपशमन एवं जल का सतत पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

उपाय करने, गंगा नदी का पुनरोद्धार करके इसे इसकी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति में लाये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या-2458, नई दिल्ली, दिनांक 07-10-2016 निर्गत की गयी, गठित जिला गंगा समिति द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में गंगा की सहायक नदी यमुना एवं हिण्डन को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा दोनों नदियों को पुनरोद्धार करने के उद्देश्य से समय-समय पर सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक की जाती है। जिला गंगा समिति द्वारा दिनांक 25-10-2021, 25-04-2022 तथा दिनांक 19-05-2022 को बैठक आयोजित कर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, राज्य गंगा समिति, राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों एवं शासनादेशों को समावेशित करके नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता रहा है। जिसमें दिनांक 25-04-2022 को आयोजित जिला गंगा समिति की बैठक में जिला समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (Flood Plain Zone) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0 1417वी-27-सि-2-181 बाढ़/09, अनुभाग-2 दिनांक 16.03.2010 एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला, नई दिल्ली के पत्रांक- नि0-1891/मु0अ0य0/ए0जी0टी0/हिण्डन दिनांक 29.09.2020 में भी आदेश जारी किये गये, जिसके सम्बन्ध में समस्त प्राधिकरणों को निर्देश दिये गये कि अपने-अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार दिनांक 19.05.2022 को जिला गंगा समिति की बैठक में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि मास्टर प्लान में उल्लिखित वर्क सर्किल वाइज रिवर फ्रन्ट विकसित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3-राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 89/2013, आकाश वशिष्ठ एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20, मई 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अस्थाई एवं स्थायी प्रकृति के अवैध एवं अनाधिकृत निर्माणों को रोकने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मई, 2013 का सारवान अंश निम्नवत है:-“.....It is conceded before us by all learned counsel appearing for respective Authorities, Corporations, NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana that there are unauthorized and illegal constructions raised on the flood plain of river Yamuna. These constructions have been raised without permission of any competent authority. On the contrary, these Authorities including the Irrigation Department of State of Uttar Pradesh and other Authorities claim to have issued Notices to the persons who have raised unauthorized and illegal constructions upon the flood plain of river Yamuna, but rarely of any effect.

It is an admitted position in law that construction upon flood plain area is prohibited. It not only affect the natural flow of the river but even causes environment problems besides raising risk to human life and property.....

In view of the above circumstances, we hereby issue an interim injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law."

- 4- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याजित याचिका संख्या-5182/2011, मुकदमा नं० 26.04.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक प्रश्न निम्नवत् है-
 ".....Once there is nothing on record to demonstrate that constructions have been carried out after map has been sanctioned then this Court cannot come to the rescue and reprieve of the petitioner and writ of mandamus cannot be issued by this Court directing the respondents not to demolish any constructions over the land in dispute i.e. residential house of the petitioners in their land situated at village Mamura district Gautam Buddha Nagar. Even if the land was not acquired by the State, the constructions were raised without seeking permission and the petitioner will have no right to claim any protection for such illegal constructions."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से स्वतः स्पष्ट है कि अवैध निर्माण का विधिक स्वरूप आरम्भतः शून्य(void ab initio) है।

5. इसके अतिरिक्त श्री रमा रमण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नवीन औद्योगिक औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र सं० नौएडा/भूलेख/2013/4991 दिनांक 14.06.2013 में निर्देश दिए गए कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण की सूचनाएं समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 में निम्नवत् प्रावधान किये गये हैं:-

"If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of, or the amenities in any part of the industrial development area of the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site of building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain in it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps, or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier."

इस प्रकार हो रहे अनाधिकृत निर्माणों को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय में नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं सामान्य के हित कुप्रभावित होंगे। इसलिये नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र/हिण्डन समुदाय



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

नदियों के डूब क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को रोकने एवं अब तक हो चुके अनाधिकृत निर्माण को हटाने हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।

6. अधिशारी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के पत्र सं० 2651/सिनिखगा/डूब क्षेत्र दिनांक 08-10-2020 के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर में हिण्डन एवं यमुना नदी के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे भवन निर्माण आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सिंचाई अधिनियम-1950 की धारा-3 एवं विभिन्न शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई अधिनियम-1950 की धारा-3 नहर रजवाहा, गूल आदि के पानी को गलत तरीके से सिंचाई हेतु प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में है। शासनादेश सं०-1417बी(1)09-27-सि-02-18/बाद दिनांक 16-03-2010 के बिन्दु सं०-1 एवं 2 में स्पष्ट किया गया है कि:-

- (i) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशनस में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (ii) आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- (iii) जो क्षेत्र प्रस्तर-1 एवं 2 से आच्छादित नहीं है। उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुये अवैध निर्माणों को हटाने के लिये सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त तीनों प्रस्तरों से स्पष्ट है कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कार्यवाही प्राधिकरणों तथा सिंचाई विभाग द्वारा की जायेगी। नार्दन इण्डिया कैनल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के तहत सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में परिभाषित सीमाओं के भीतर, किसी अवरोध के निर्माण का प्रतिषेध कर सकेगी और ऐसी सीमा के भीतर अवरोध को हटाने या अवरोध में उपरान्तरण करने का आदेश जारी कर सकेगी।

इस सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचारार्थीन एप्लीकेशन सं०-89/2013 में पारित आदेशों में भी स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित प्राधिकरण उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करें। जिसके अनुपालन में नौएडा प्राधिकरण द्वारा ग्राम हैवतपुर एवं बहलोलपुर, सोरखा जाहिदाबाद एवं अन्य स्थानों पर भी डूबक्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने हेतु समय-समय पर कार्यवाही की गयी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मा० एच०पी०एस० ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० नौएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा ग्राम दोस्तपुर मंगरोली खादर व किडावली स्थित कृषि भूमि पर फार्म लेण्ड(कृषि उपयोग हेतु)के ले-आउट प्लान 568512 वर्ग गज पर अस्थाई आवासों का नक्शा स्वीकृत किया गया था। मानचित्र प्लान तत्समय 03090 गज 10



L:

Sumit

W/M-

Mehta

Mehta

अक्टूबर 1998 प्रकाशित 10 सितम्बर 1998 संख्या 1045/23-210-96-98 उ०प्र० क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239(2)के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कतिपय शर्तों के अधीन कार्यालय जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 769/जि०पं०गौ०/०6 दिनांक 06.05.2006 द्वारा स्वीकृत किया गया था, जो कि गै० एच०पी०एस० ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० नौएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न किये जाने के कारण जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर के पत्र श० 225/जि०पं०गौ०/2022 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

7. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश, विभिन्न उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/कार्यवृत्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, में विहित प्राविधानों, उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्राविधानों, नौएडा/ग्रेटर नौएडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग रेगुलेशन, 2010 में उल्लिखित नियमों के आलोक में दिनांक 30-09-2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में गठित जिला आपदा प्रबंधन समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत अवधारित किया कि जनपद-गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यीडा के अधिसूचित क्षेत्र के हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब-क्षेत्र में आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने एवं डूब-क्षेत्र में अन्धाधुन्ध प्लाटिंग/कॉलोनाईजेशन के फलस्वरूप अनवरत हो रहे मानव जनित अवैध/अनधिकृत निर्माणों के कारण भविष्य में मानवजनित कारणों से प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावना को समाप्त करने एवं जन-धन की क्षति को बचाने की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में अब यह आवश्यक हो गया है कि मानव जनित कारणों से होने वाली आपदा से जनसामान्य के जीवन को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, में उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में त्वरित कार्यवाही की जाए।

“अतएव इस हेतु जिला आपदा प्रबंधन समिति, गौतमबुद्धनगर मानव जनित आपदाओं के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल स्थितियों की सम्भावना को समाप्त करने एवं जनसामान्य के जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से निम्नवत निर्णय लेती है:-

A. ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की क्षति को बचाने के लिए अवैध एवं अनधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/ कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

जैसा कि अवगत है कि नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 08.06.2022 में सर्व साधारण को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य करना अनुमन्य नहीं है। यदि नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित डूब क्षेत्र में कोई निर्माण किया गया है तो तत्काल स्वयं हटा ले अन्यथा की दशा में नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण पाये जाने पर उसे ध्वस्त किया जायेगा। गौरतलब है कि पूर्व में भी डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक नौएडा/भूलेख/2020/2853, दिनांक 24.07.2020 द्वारा

नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित-डूब क्षेत्र के अन्तर्गत Flood Plain Zone (डूब क्षेत्र) में पडने



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

गाली भूमि मांग नंगली-नंगला, दोस्तपुर मंगरीली, नंगली वाजिदपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर, बहरामपुर जागीर, रोहिल्ला आदि पर अवैध निर्माण/पुरस्ते से राटे रास्तों को ध्वस्त एवं उन पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित दोषियों श्री दिनेश त्यागी पुत्र श्री वेदप्रकाश त्यागी, कुलदीप शर्मा व श्री यदुवेन्द सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह के विरुद्ध भू-माफिया/गैंगस्टर के तहत कार्यवाही किये जाने विषयक पत्र जारी किया गया था।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत ग्राम नंगली बहरामपुर, नंगली साखपुर, दोस्तपुर मंगरीली खादर एवं किडावली नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031/सर्व एवं अभिलेख क्रिया से आच्छादित हैं, तथा मास्टर प्लान 2031 के विरुद्ध एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरह के अनाधिकृत निर्माण, नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं है। मास्टर प्लान 2031 को नियमानुसार लागू करने का दायित्व नोएडा प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकारी का है। जिसके क्रम में नोएडा प्राधिकरण के द्वारा की गयी कार्यवाही में कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाते हैं।

(कोमल कुमार)
उपाजिलाधिकारी (न्याय)
दादरी, गौतमबुद्धनगर।

(वन्दिता श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गौतमबुद्धनगर।

(सुहास एल०वाई)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 1042/वाद लिपिक-रिट/2022

दिनांक:- 11-08-2022

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि:-
1. निबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
 2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण।
 3. पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर।
 4. अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली-25।
 5. प्रभागीय वनाधिकारी गौतमबुद्धनगर वनप्रभाग।
 6. प्रादेशिक अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड गौतमबुद्धनगर।
 7. समस्त प्रत्यावेदकगण।

(सुहास एल०वाई)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।



TRUE COPY, ATTESTED

NOTARY DELHI R 16988
GOVT OF INDIA

09 FEB 2026

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर - 201301

पत्रांक - नौएडा/मूलेख/23/...²⁶¹⁹
दिनांक ...14/2/23

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-18520/2022, कपिला झरना प्रोजेक्ट्स, लि0 व 26 अन्य बनाम नौएडा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2022 को पारित आदेश निम्नवत् है:-

"The petitioner has called in question a public notice dated 08.06.2022.

"We are of the opinion that the aforesaid course, if adopted, will sub-serve the ends of justice. We, accordingly, permit the petitioner-society and its members to file objection within ten days in pursuance of the impugned public notice, as also agreed to by learned counsel for the petitioner, and in which event, the same shall be decided by respondent no.2 by means of a speaking order. For a period of twenty days from today, the status quo as of date shall be maintained by all the parties.

In case, the petitioner and its members fail to file objection within ten days from today, it shall be open to the respondent-authority to proceed further in pursuance of the impugned public notice."

Accordingly, the instant petition also stands disposed of in same terms."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में याचिका में वर्णित याची सं0-17 श्री रतना मित्रा पुत्र स्व0 श्री स्व0 श्री डी0एन0 दास, निवासी-के0वी0-001, सेक्टर-63-ए0, नौएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 19.07.2022 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः कथित किया गया कि नौएडा प्राधिकरण की ओर से फार्म हाउसों के विरुद्ध सोशल/प्रिन्ट मीडिया व चस्पानगी के माध्यम से जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 विधि विरुद्ध है एवं प्रश्नगत फार्म हाउस पर डूब क्षेत्र (Active Flood Zone) सम्बन्धी नियम लागू न होने एवं प्राधिकरण की अधिकारिता के सम्बन्ध में बिन्दुओं को उठाया गया है।

याचिका संख्या-18520/2022 में पारित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.07.2022, याचिका एवं नौएडा नौएडा प्राधिकरण के सम्बन्धित अभिलेखों व अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नवत् स्थिति उभर कर सामने आती है:-

1. ग्राम-चक मंगरौला व अन्य नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र का ग्राम है। ग्राम-चक मंगरौला उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1730-भाऊ/18-10-97 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 1997 में नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम है।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्रावधानों के तहत नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण अनुमत्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि U.P. Industrial Area Development Act, 1976 में विहित धारा-2 (डी) में यह स्पष्ट किया गया है कि-

(d) 'Industrial Development Area' means an area declared as such by the State Government by notification;

Page 1 of 9



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta
Megha Gupta

Megha Gupta

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-10 में निम्नवत प्राविधान किया गया है-

"If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper the planning of, or the amenities in any part of the industrial development area of the interests of the general public there, it may transferee or occupier of that site of building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain in it in such manners as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier."

U.P. Industrial Area Development Act, 1976 की धारा-17 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

".....Overriding effect of the Act 17.

Upon any area being declared an industrial development area under the provision of this act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, or any development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan....."

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदन के साथ कोई ऐसा अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें नीएडा प्राधिकरण से प्रश्नगत निर्माण हेतु कोई अनुमति प्राप्त किया जाना दर्शाया गया हो।

नीएडा प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण के संबंध में New Okhla Industrial Development Area Building Regulation, 2010 के Clause No. 20.2 and 20.3 में निम्नवत उद्धृत किया गया है:-

20.2 *"Unsafe Building" An unsafe building shall be considered to constitute danger to public safety hygiene and sanitation and shall be restored by repair or demolished or dealt with as otherwise directed by the Chief Executive Officer of the Authority*

20.3 *"Unauthorised development" In case of Unauthorised development, the Chief Executive Officer or an authorized officer by the Chief Executive Officer shall-*

- (i) *Take suitable action which may include demolition of unauthorised works, sealing of premises, prosecution and criminal proceedings against the offenders in pursuance of relevant Acts in force.*
- (ii) *Take suitable action against the technical person concerned."*

3. प्रत्यावेदन में कथित किया गया है कि सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है व उनको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस संबंध में उल्लिखित है कि प्राधिकरण द्वारा डूब क्षेत्र में एवं बांध रोड पर जगह-जगह दर्शनीय सुरसष्ट चैतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं है। समय-समय पर सोशल मीडिया एवं विभिन्न माध्यमों से जनमानस को इस संबंध में सूचित भी किया जाता है। जहाँ तक नोटिस की व्यक्तिगत तामिला का प्रश्न है तो इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से प्रयास किया गया परन्तु स्थानीय स्तर पर अवगत कराया कि डूब क्षेत्र में बने बड़े-बड़े फार्म हाउसों में कोई स्थायी रिहायश नहीं है। प्रायः इन फार्म हाउसों में 1-2 केयर टेकर रहते हैं, जो फार्म हाउस मालिकों के नाम/ नो. नं इत्यादि उपलब्ध नहीं कराते हैं, जिससे फार्म हाउस के वास्तविक मालिक का नाम व पता ज्ञात हो

Page 2 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta Gupta

सके। इसी क्रम में सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 को फार्म हाउसों के मुख्य द्वार पर स्थलीय स्टाफ द्वारा चरपा किया गया था। उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश 20.05.2013 के क्रम में कार्यवाही हेतु फार्म हाउस निवासियों के सही नाम व पते ज्ञात न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिनांक 21.06.2013 व 25.06.2013 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर कतिपय व्यक्तियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिकाएं योजित की गयी थी। रिट याचिका संख्या-44104/2013 व अन्य सम्बद्ध रिटों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नोटिस को सही मानते हुए दिनांक 29.08.2013 को निम्न आदेश पारित किया गया था, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"Considering the facts and circumstances of this case, we dispose of this writ petition with a direction that the order dated 21.6.2013 passed by the respondent-NOIDA shall be treated as a notice to the petitioner to which the petitioner may submit their response within three weeks from today. On receipt of such replies, if any, the respondent-NOIDA shall pass reasoned and speaking orders as expeditiously as possible after considering the replies and, if necessary, giving opportunity of hearing to the petitioner.
With the aforesaid directions/observations this writ petition stands disposed of."

पुनः वर्तमान में भी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक **07.07.2022** में भी सार्वजनिक नोटिस को निरस्त नहीं किया गया है व प्रत्यावेदकगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है।

4. प्रत्यावेदक द्वारा अपनी आपत्ति में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र व फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा के संबंध में आपत्ति की गयी है, जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा अपने परिपत्र संख्या 38/का0प्र0अ0भू-09अ.नि.म.-3 दिनांक 15.01.2015 द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत है:-

परिपत्र

उ0प्र0 की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन जोन/ फ्लड प्लेन क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में चर्चा होती रहती है। इस क्रम में उ0प्र0 की नदियों के लिए एतद्वारा फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

1. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
2. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ़ आर्वात तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आर्वात का डूब क्षेत्र।

5. अधिशासी अभियंता हेंड वरदा खण्ड आगरा नहर ओखता, नई दिल्ली-25 द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि - ".....यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन/फार्म हाउसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारे बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्लावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-धन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नौरडा के औद्योगिक एवं आवासीय सैक्टरों में भार जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में ग्राम-नौरगवाड खादर, जवनुर खादर, असगरपुर चवबसंतपुर शाहपुर गोवर्धनपुर खादर, नगला नगली, नगली बहरामपुर, नगली शाहपुर, वाजिदपुर, छपरोली खादर, छपरोली बांगर, असदुल्लापुर, चकमंगरोला, दोस्तपुर मंगरोली खादर, किदायती आदि की भूमि में यमुना नदी तटबंध के निकट से बह रही है बाढ़ की दृष्टि से जनपद-गौतमबुद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है।

..... अब तक हुये अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटाया जाना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी भी बाढ़ की विभिन्निका का सामना करना पड़ सकता है। यह भी अवगतनीय है कि मा0 नेशनल ग्रीन ट्र्यूबूनल की प्रिंसिपल बेंच नई, दिल्ली के आदेश सं0-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दिनांक 20.05.2013 के आदेशानुसार फ्लड प्लान जॉन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा इस जॉन को हस्तित जॉन बनाये जाने का प्राविधान है।.....”

6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.06.2022 में अवगत कराया गया है कि- “ ... यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन फार्म हाऊसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारे बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्लावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-धन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। डूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब भी बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नौरडा के औद्योगिक एवं आवासीय सैक्टरों में भारी जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के निबंधनागाधीन दो स्थानों ग्राम याकूतपुर एवं कामबक्शपुर की भूमि में यमुना नदी तटबंध के अत्यधिक निकट से बह रही है। ग्राम-याकूतपुर के निकट वर्ष-1996 में यमुना नदी के किनारे पर निर्मित तटबंध बाढ़ के समय लगभग एक कि.मी. लम्बाई में कट गया था। जिसमें सेना की मदद लेनी पड़ी थी। बाढ़ की दृष्टि से जनपद गौतमबुद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है।

..... अब तक हुए अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी बाढ़ की विभिन्निका का सामना करना पड़ सकता है।.....”

7. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नौरडा विकास क्षेत्र की महायोजना-2031 का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 26.08.2011 को किया गया है व शासन द्वारा दिनांक 29.09.2011 को अनापत्ति प्रदान की गयी। महायोजना के अनुसार नौरडा यमुना नदी व हिण्डन नदी के मध्य स्थित है नौरडा का क्षेत्रफल लगभग 20000 हे0 है, जिसमें शहरीकरण हेतु लगभग 15000 हे0 भूमि चिन्हांकित है व शेष लगभग 5000 हे0 भूमि इन दोनों नदियों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण इस भूमि को मास्टर प्लान में रिजर्व प्रॉन्ट डेवलपमेंट जॉन के अंतर्गत दर्शाया गया है। नौरडा विकास क्षेत्र महायोजना-2031 की



Megha Gupta

Li:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-5.11 में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के संबंध में निम्न प्राविधान दिया गया है-

"...Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river banks and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drain. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विस्तृत प्लान तैयार किया जायेगा, जिसमें मनोरंजन तथा पर्यटक गतिविधियाँ का प्रावधान किया जायेगा। मनोरंजन एवं पर्यटक गतिविधियों में अधिकतम 1% क्षेत्रफल पर अस्थायी एवं Removable structure के निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

महायोजना-2031 के अर्थात्-7 के बिन्दु संख्या-7.1.1 में Use zone का उल्लेख है, जिसमें मुख्यतः 8 Use zone है, जो निम्नवत है:-आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, मनोरंजन, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, परिवहन, कृषि/Water body, रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया।

प्रश्नगत फार्म हाउस नीएडा महायोजना-2031 के रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत आता है। महायोजना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-3.3.1 में विभिन्न भू-उपयोगों (Land use) में अनुमत्य गतिविधियों का उल्लेख है जिसे मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया गया है। इस मैट्रिक्स में विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमत्य गतिविधियों सहित अनुमत्य गतिविधियों, प्राधिकरण बोर्ड से अनुमत्य गतिविधियों तथा निषिद्ध गतिविधियों का उल्लेख है। इस मैट्रिक्स में रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट का उल्लेख नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया में किसी प्रकार की गतिविधि अनुमत्य नहीं है।

फार्म हाउस के गतिविधि का उल्लेख इस मैट्रिक्स के बिन्दु संख्या-9.2 में है। फार्म हाउस की Row का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह गतिविधि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भू-उपयोग में अनुमत्य है एवं अन्य सभी भू-उपयोग में निषिद्ध है। यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि आवासीय, संस्थागत तथा कृषि भूमि पर प्राधिकरण द्वारा अर्जित कर उस पर ले-आउट तैयार किये जाते हैं एवं नियमानुसार इन ले-आउट में प्रस्तावित भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। यदि ले-आउट प्लान में भूखण्ड फार्म हाउस के लिए प्रस्तावित है तो ही प्राधिकरण द्वारा भवन विनियमावली, 2010 में दिए गये प्रावधानों के अनुसृत मानचित्र



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिना नौएडा की अनुमति/नक्शा पास किये कोई भी निर्माण किया जाना अवैध है।

प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि को अर्जित किया गया है एवं कृषि भूमि पर फार्म हाउस नियोजित किये गये हैं तथा फार्म हाउसों को नियमानुसार आवंटित किये गये हैं एवं फार्म हाउसों के आवंटित भूखण्डों पर भवन विनियमावली, 2010 के अनुरूप मानचित्र भी स्वीकृत किये गये हैं।

8. याधिका में वर्णित फार्म हाउस में यात्री द्वारा नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम-चक मंगरौला व अन्य के डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।
9. डूब क्षेत्र के संबंध में उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश जारी कर डूब क्षेत्र में किररी भी प्रकार का निर्माण वैध नहीं माना है व इस संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं कुछ प्रमुख शासनादेश निम्न हैं-

विशेष सचिव उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-9-21सि.-6/बाढ़/71, दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या 141बी (1) 09-27-सि०-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या 1560/12-27-सि०-3-43एल/08टी०सी० दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। उक्त पत्रों के सुसंगत अंश निम्नवत् उद्धृत हैं-

विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 5923 (1) एफ 91-27सि-6/397/बाढ़/71 दिनांक 03.02.1992:-

“.....जिलाधिकारी को सूचित कर दिया जाए कि फ्लड प्लेन जोन में निर्मित भवनों/आबादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं कराया जाएगा और वे ऐसे क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर अंकुश के लिए यू०पी० फ्लड इमरजेंसी पॉवर (क्वीजिशन एवं रिक्वीजिशन) एक्ट 1951 का प्रयोग करें.....”

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1417बी (1) 09-27-सि-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010:-

i..... महायोजना के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किररी प्रकार का निर्माण अनुमत्त नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाए। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन में फ्लड प्लेन के अन्तर्गत किररी भी प्रवेश का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ii. आर०बी०ओ० एक्ट, यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किररी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जाएगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाए।

iii. ऐसे क्षेत्र जो प्रस्त- (1) एवं (2) से आच्छादित नहीं हैं, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनल एवं इनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।”



Li

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0 दिनांक 19.09.2012:-

".....जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124.437 हे० में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी है। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

"..... यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए है, की है।....."

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा भी याचिका संख्या -2112/2002, वजीरपुर बर्तन निर्माता रघु बनाम दिल्ली सरकार व अन्य में Yamuna-Removal of encroachment committee को उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2005 के माध्यम से निम्नवत निर्देश दिये गये थे:-

".....No encroachment either in the form Jhuggi Jhopri clusters or in any other manner by any person or organization shall be permitted....We are making it clear that no structure whether it pertains to religious, residential or commercial or any other purpose shall be allowed to exist...."

10. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 में MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION DATED 07-10-2016 का उल्लेख किया है। इस नोटिफिकेशन के प्रमुख अंश निम्नवत है, जिनके द्वारा गंगा व उसकी उपनदियों (यमुना सहित) में डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण विधि विरुद्ध बताया गया है व पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया है:-

- 3 (1) "flood plain" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years.
- 4 (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free zone to reduce pollution sources pressures and to maintain its natural ground water recharge functions.
5. Ecological flow of water in River Ganga to be maintained.
- 6 (3) No persons shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain are of River Ganga or Its tributaries.

Page 7 of 9



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta Gupta

Megha Gupta

Decisions of State Ganga Committee to be binding.- The decision taken at the meetings of the State Ganga Committee shall, notwithstanding anything contained in this Order, be binding upon every District Ganga Committee and every local authority or other authority or Board or person referred to in such decision any they shall comply with the decisions of the State Ganga Committee."

11. कतिपय व्यक्तियों/फार्म हाउस डेवलपर द्वारा पूर्व में गलत ढंग से जिला पंचायत से नदशा पास करा लिया गया था, परन्तु जिला पंचायत द्वारा नदशों को निरस्त कर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप पूर्व में एच0पी0एस0 ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 नौएडा को 5,68,512 वर्ग गज का नदशा जिला पंचायत गौतमबुद्धनगर द्वारा 16 जून, 2022 को निरस्त किया गया है।
12. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 30.09.2020 कार्यवृत्त के प्रस्तर-30 के बिन्दु संख्या A में उद्धृत किया गया है कि "...A. ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की क्षति को बचाने के लिए अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अचिलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।..." जिला गंगा समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 25.10.2021, 25.04.2022 एवं 19.05.2022 में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी कार्यवृत्त में भी यमुना एवं हिण्डन नदियों के दूब क्षेत्र में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि याचीगण द्वारा नौएडा के अधिसूचित ग्राम-चक मंगरौला व अन्य में क्रय की गई भूमि, जो यमुना नदी से बांध के बीच में दूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में स्थित है पर अनाधिकृत व अवैध निर्माण किया गया है, जिसको हटाया जाना पर्यावरण, नियोजन एवं जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिहार्य है। दूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में फार्म हाउसों के निर्माण के कारण रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट एरिया का विकास कु-प्रभावित होगा एवं बाढ़ आने की स्थिति में भारी मात्रा में जन-धन की हानि होगी। दूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में निर्माण के कारण भविष्य में यमुना नदी में बाढ़ आने पर तटबंध पर दबाव बढ़ेगा व तटबंध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बाढ़ का पानी नौएडा के आवासीय/औद्योगिक सेक्टरों में भर जायेगा जिससे व्यापक हानि की सम्भावना उत्पन्न होगी। अतः प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2022 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है व सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 अंतिम किया जाता है। प्रत्यावेदक श्री रतना मित्रा पुत्र स्व0 श्री स्व0 श्री डी0एन0 दास, निवासी-कै0बी0-001, सेक्टर-63-ए0, नौएडा, गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को एक सप्ताह के अन्दर स्वयं हटा लें अन्यथा अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाने के लिये समुचित उपाय अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिस पर होने वाले व्यय की जसूली भी भू-राजस्व के बकाये के भौति संबंधित से ही की जायेगी।



Megha Gupta

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में याचिका संख्या-18520/2022, कपिला इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, लि० व 26 अन्य बनाम नौएडा व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.07.2022 के अनुपालन में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 19.07.2022 एतद्वारा निस्तारित किये जाते हैं।

(रितु माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को याचिका संख्या-18520/2022 में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 के अनुपालन में सूचनार्थ।
3. मुख्य विधि सलाहकार, नौएडा को सूचनार्थ।
4. अधिशासी अभियन्ता, हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली-25 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री रतना मित्रा पुत्र स्व० श्री स्व० श्री डी०एन० दास, निवासी-के०वी०-001, सैक्टर-63-ए०, नौएडा, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।

12/2
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

Megha Gupta

Page 9 of 9



TRUE COPY, ATTESTED

NOTARY DELHI R-16688
GOVT OF INDIA

09 FEB 2026

Li

Sumit

WMI

Megha Gupta
Megha Gupta

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक : 4146 / एस0टी0-ए0डी0एम0 / 2025

दिनांक: 20-08-2025

आदेश

मुख्य सचिव उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश सं० 1417 बी-27-सिं-2-181/बाढ़/09 दिनांक 16.03.2010 के बिन्दु सं०-1 में स्पष्ट किया गया है कि "महायोजना के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाये" तथा बिन्दु सं-2 में स्पष्ट है कि. "आर०बी०ओ० एक्ट यू०पी० अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाये"

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-30 में यह प्रावधानित किया गया है कि:-

- (1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, सभन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुमान जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।
- (2) जिला प्राधिकरण, उपधारा(1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना:-

- (iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये हैं।
- (v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

समय-समय पर वर्षा ऋतु के दौरान डूब क्षेत्र में पानी भरने के कारण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होने, जन-धन की हानि होने एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है, जिन पर समय रहते नियंत्रण किया जाना अत्यावश्यक है।

भारत का राजपत्र(The Gazetteer of India), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय "अधिसूचना" नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016 के बिन्दु संख्या-6 "गंगा नदी और उसकी उप नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाना" के उप बिन्दु-3 व 4 में यह उल्लेख किया गया है कि:-

उप बिन्दु संख्या-3

कोई व्यक्ति गंगा नदी में अथवा गंगा नदी या इसकी उपनदियों के तट अथवा इनके सक्रिय बाढ़ मैदानी क्षेत्र में आवासीय अथवा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

उप बिन्दु संख्या-4

कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकल्प अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो।



L:

Sumit

WMI-

Megha Gupta

Megha Gupta

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2023 को आहूत समीक्षा बैठक के उपरान्त पत्र संख्या 65/सी0आर0ए0/2023-24 दिनांक 02.11.2023 के माध्यम से जारी कार्यवृत्त में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा"।

अतः मुख्य सचिव उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश सं० 1417 बी-27-सिं-2-181/बाढ़/09 दिनांक 16.03.2010 में दिये गये निर्देशों, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005, भारत का राजपत्र(The Gazetteer of India), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय "अधिसूचना" नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए मौके पर बने निर्माण कार्य को नियमानुसार ध्वस्त करने की कार्यवाही हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

तहसील, दादरी क्षेत्र (ध्वस्तीकरण की कार्यवाही माह के प्रत्येक मंगलवार) -

01.	उप जिलाधिकारी, दादरी	-	अध्यक्ष
02.	सम्बन्धित महाप्रबन्धक, नोएडा विकास प्राधिकरण	-	सदस्य
03.	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त	-	सदस्य
04.	सहायक अभियंता, सिंचाई, निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।	-	सदस्य
05.	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा	-	सदस्य

तहसील, सदर क्षेत्र (ध्वस्तीकरण की कार्यवाही माह के प्रत्येक बुधवार) -

01.	उप जिलाधिकारी, सदर	-	अध्यक्ष
02.	सम्बन्धित महाप्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	-	सदस्य
03.	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त	-	सदस्य
04.	सहायक, सिंचाई, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली	-	सदस्य
05.	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा	-	सदस्य

तहसील, जेवर क्षेत्र (ध्वस्तीकरण की कार्यवाही माह के प्रत्येक ब्रहस्पतिवार) -

01.	उप जिलाधिकारी, जेवर	-	अध्यक्ष
02.	सम्बन्धित महाप्रबन्धक, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	-	सदस्य
03.	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त	-	सदस्य
04.	सहायक, सिंचाई, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला, नई दिल्ली	-	सदस्य
05.	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा	-	सदस्य

समिति के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि तहसील दादरी में माह के प्रत्येक मंगलवार को, तहसील सदर में माह के प्रत्येक बुधवार को एवं तहसील जेवर में माह के प्रत्येक ब्रहस्पतिवार को जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए मौके पर बने निर्माण कार्य को नियमानुसार ध्वस्त करने की कार्यवाही करते हुए अपनी आख्या अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०), गौतमबुद्ध नगर के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०), गौतमबुद्ध नगर संकलित सूचनाओं/आख्याओं के साथ माह के प्रत्येक शुक्रवार की सायं 06.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर यदि किसी भी समिति द्वारा अपने से आवंटित दिवस के दिन जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने वाले मौके पर बने निर्माण कार्य के नियमानुसार ध्वस्तीकरण में किसी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता बरती जाती है तो उस समिति के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।



Li

Sumit

WMI

Megha Gupta

Megha Gupta

डूब क्षेत्र के जो गाँव सर्वे के अन्तर्गत हैं उन गाँवों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान सर्वे विभाग का लेखपाल प्रत्येक दशा में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो।

Dr. (मिधा रूपम),
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि :

01. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्य हेतु आप भी अपने स्तर से भी प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
02. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्य हेतु आप भी अपने स्तर से भी पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
03. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
04. सहायक अभिलेख अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सर्वे के गाँवों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित लेखपाल को उप जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।



TRUE COPY, ATTESTED

NOTARY DELHI R-16988
GOVT. OF INDIA

09 FEB 2026

Megha Gupta

Li:

Sumit

WMI-

Megha Gupta
Megha Gupta

Supplementary Affidavit by applicant in OA 641/2023

manoj@synergyinfracon.com <manoj@synergyinfracon.com> Wed, Feb 11, 2026 at 11:39 AM
To: csup@nic.in, ceodelhi.djb@nic.in, ceifcd@gmail.com, csdelhi@nic.in, fcwrd@gmail.com, ceo@noidaauthorityonline.com, eincididuplu-up@nic.in, contactdfccil@dfcc.co.in, dmgnb@nic.in
Cc: abhay gupta <tony51aoc@rediffmail.com>, Consultant Judicial-NGT <judicial-ngt@gov.in>

Dear Sirs,
> You are respondents in the Original application no. 641/2023 (Suman Chauhan and 49 others VS Govt of Uttar Pradesh and others) filed in the Hon'ble NGT. Please find herewith enclosed copy of the **supplementary affidavit** filed by the applicants/petitioners for withdrawal of the current matter.
> Original petition has already been served to you earlier.
>
> Regards
> Manoj Singh (Original Applicant)
> 8076083151

 Supplementary application
.12121K

Li Sumit WMI

Li Sumit WMI 
Megha Aggarwal